



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड I
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48 | नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 7, 2005 / भाद्र 16, 1927
No. 48 | NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 7, 2005 / BHADRA 16, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 7th September, 2005/Bhadra 16, 1927 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on 5th September, 2005 and is hereby published for general information:—

THE NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT, 2005

No. 42 OF 2005

[5th September, 2005.]

An Act to provide for the enhancement of livelihood security of the households in rural areas of the country by providing at least one hundred days of guaranteed wage employment in every financial year to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by Parliament in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the National Rural Employment Guarantee Act, 2005.

(2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.

(3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint; and different dates may be appointed for different States or for different areas in a State and any reference in any such provision to the

Short title,
extent and
commencement

commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision in such State or, as the case may be, in such area:

Provided that this Act shall be applicable to the whole of the territory to which it extends within a period of five years from the date of enactment of this Act.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires, --

- (a) "adult" means a person who has completed his eighteenth years of age;
- (b) "applicant" means the head of a household or any of its other adult members who has applied for employment under the Scheme;
- (c) "Block" means a community development area within a district comprising a group of Gram Panchayats;
- (d) "Central Council" means the Central Employment Guarantee Council constituted under sub-section (1) of section 10;
- (e) "District Programme Coordinator" means an officer of the State Government designated as such under sub-section (1) of section 14 for implementation of the Scheme in a district;
- (f) "household" means the members of a family related to each other by blood, marriage or adoption and normally residing together and sharing meals or holding a common ration card;
- (g) "implementing agency" includes any department of the Central Government or a State Government, a Zila Parishad, Panchayat at intermediate level, Gram Panchayat or any local authority or Government undertaking or non-governmental organisation authorised by the Central Government or the State Government to undertake the implementation of any work taken up under a Scheme;
- (h) "minimum wage", in relation to any area, means the minimum wage fixed by the State Government under section 3 of the Minimum Wages Act, 1948 for agricultural labourers as applicable in that area; 11 of 1948.
- (i) "National Fund" means the National Employment Guarantee Fund established under sub-section (1) of section 20;
- (j) "notification" means a notification published in the Official Gazette;
- (k) "preferred work" means any work which is taken up for implementation on a priority basis under a Scheme;
- (l) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (m) "Programme Officer" means an officer appointed under sub-section (1) of section 15 for implementing the Scheme;
- (n) "project" means any work taken up under a Scheme for the purpose of providing employment to the applicants;
- (o) "rural area" means any area in a State except those areas covered by any urban local body or a Cantonment Board established or constituted under any law for the time being in force;
- (p) "Scheme" means a Scheme notified by the State Government under sub-section (1) of section 4;
- (q) "State Council" means the State Employment Guarantee Council constituted under sub-section (1) of section 12;
- (r) "unskilled manual work" means any physical work which any adult person is capable of doing without any skill or special training;
- (s) "wage rate" means the wage rate referred to in section 6.

CHAPTER II

GUARANTEE OF EMPLOYMENT IN RURAL AREAS

3. (1) Save as otherwise provided, the State Government shall, in such rural area in the State as may be notified by the Central Government, provide to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work not less than one hundred days of such work in a financial year in accordance with the Scheme made under this Act.

Guarantee of rural employment to households.

(2) Every person who has done the work given to him under the Scheme shall be entitled to receive wages at the wage rate for each day of work.

(3) Save as otherwise provided in this Act, the disbursement of daily wages shall be made on a weekly basis or in any case not later than a fortnight after the date on which such work was done.

(4) The Central Government or the State Government may, within the limits of its economic capacity and development, make provisions for securing work to every adult member of a household under a Scheme for any period beyond the period guaranteed under sub-section (1), as may be expedient.

CHAPTER III

EMPLOYMENT GUARANTEE SCHEMES AND UNEMPLOYMENT ALLOWANCE

4. (1) For the purposes of giving effect to the provisions of section 3, every State Government shall, within six months from the date of commencement of this Act, by notification, make a Scheme, for providing not less than one hundred days of guaranteed employment in a financial year to every household in the rural areas covered under the Scheme and whose adult members, by application, volunteer to do unskilled manual work subject to the conditions laid down by or under this Act and in the Scheme:

Employment Guarantee Schemes for rural areas.

Provided that until any such Scheme is notified by the State Government, the Annual Action Plan or Perspective Plan for the *Sampoorna Grameen Rozgar Yojana* (SGRY) or the National Food for Work Programme (NFFWP) whichever is in force in the concerned area immediately before such notification shall be deemed to be the action plan for the Scheme for the purposes of this Act.

(2) The State Government shall publish a summary of the Scheme made by it in at least two local newspapers, one of which shall be in a vernacular language circulating in the area or areas to which such Scheme shall apply.

(3) The Scheme made under sub-section (1) shall provide for the minimum features specified in Schedule I.

5. (1) The State Government may, without prejudice to the conditions specified in Schedule II, specify in the Scheme the conditions for providing guaranteed employment under this Act.

Conditions for providing guaranteed employment.

(2) The persons employed under any Scheme made under this Act shall be entitled to such facilities not less than the minimum facilities specified in Schedule II.

6. (1) Notwithstanding anything contained in the Minimum Wages Act, 1948, the Central Government may, by notification, specify the wage rate for the purposes of this Act:

Wage rate.

Provided that different rates of wages may be specified for different areas:

Provided further that the wage rate specified from time to time under any such notification shall not be at a rate less than sixty rupees per day.

(2) Until such time as a wage rate is fixed by the Central Government in respect of any area in a State, the minimum wage fixed by the State Government under section 3 of the Minimum Wages Act, 1948 for agricultural labourers, shall be considered as the wage rate applicable to that area.

11 of 1948.

11 of 1948.

Payment of
unemployment
allowance.

7. (1) If an applicant for employment under the Scheme is not provided such employment within fifteen days of receipt of his application seeking employment or from the date on which the employment has been sought in the case of an advance application, whichever is later, he shall be entitled to a daily unemployment allowance in accordance with this section.

(2) Subject to such terms and conditions of eligibility as may be prescribed by the State Government and subject to the provisions of this Act and the Schemes and the economic capacity of the State Government, the unemployment allowance payable under sub-section (1) shall be paid to the applicants of a household subject to the entitlement of the household at such rate as may be specified by the State Government, by notification, in consultation with the State Council:

Provided that no such rate shall be less than one-fourth of the wage rate for the first thirty days during the financial year and not less than one-half of the wage rate for the remaining period of the financial year.

(3) The liability of the State Government to pay unemployment allowance to a household during any financial year shall cease as soon as—

(a) the applicant is directed by the Gram Panchayat or the Programme Officer to report for work either by himself or depute at least one adult member of his household; or

(b) the period for which employment is sought comes to an end and no member of the household of the applicant had turned up for employment; or

(c) the adult members of the household of the applicant have received in total at least one hundred days of work within the financial year; or

(d) the household of the applicant has earned as much from the wages and unemployment allowance taken together which is equal to the wages for one hundred days of work during the financial year.

(4) The unemployment allowance payable to the household of an applicant jointly shall be sanctioned and disbursed by the Programme Officer or such local authority (including the Panchayats at the district, intermediate or village level) as the State Government may, by notification, authorise in this behalf.

(5) Every payment of unemployment allowance under sub-section (1) shall be made or offered not later than fifteen days from the date on which it became due for payment.

(6) The State Government may prescribe the procedure for payment of unemployment allowance under this Act.

Non-
disbursement
of
unemployment
allowance in
certain
circumstances.

8. (1) If the Programme Officer is not in a position to disburse the unemployment allowance in time or at all for any reason beyond his control, he shall report the matter to the District Programme Coordinator and announce such reasons in a notice to be displayed on his notice board and the notice board of the Gram Panchayat and such other conspicuous places as he may deem necessary.

(2) Every case of non-payment or delayed payment of unemployment allowance shall be reported in the annual report submitted by the District Programme Coordinator to the State Government along with the reasons for such non-payment or delayed payment.

(3) The State Government shall take all measures to make the payment of unemployment allowance reported under sub-section (1) to the concerned household as expeditiously as possible.

Disentitlement
to receive
unemployment
allowance in
certain
circumstances.

9. An applicant who—

(a) does not accept the employment provided to his household under a Scheme;
or

(b) does not report for work within fifteen days of being notified by the Programme Officer or the implementing agency to report for the work; or

(c) continuously remains absent from work, without obtaining a permission from the concerned implementing agency for a period of more than one week or remains absent for a total period of more than one week in any month,

shall not be eligible to claim the unemployment allowance payable under this Act for a period of three months but shall be eligible to seek employment under the Scheme at any time.

CHAPTER IV

IMPLEMENTING AND MONITORING AUTHORITIES

10. (1) With effect from such date as the Central Government may, by notification specify, there shall be constituted a Council to be called the Central Employment Guarantee Council to discharge the functions, and perform the duties, assigned to it by or under this Act.

Central
Employment
Guarantee
Council.

(2) The headquarters of the Central Council shall be at Delhi.

(3) The Central Council shall consist of the following members to be appointed by the Central Government, namely:—

(a) a Chairperson;

(b) not more than such number of representatives of the Central Ministries including the Planning Commission not below the rank of Joint Secretary to the Government of India as may be determined by the Central Government;

(c) not more than such number of representatives of the State Governments as may be determined by the Central Government;

(d) not more than fifteen non-official members representing Panchayati Raj Institutions, organisations of workers and disadvantaged groups:

Provided that such non-official members shall include two chairpersons of District Panchayats nominated by the Central Government by rotation for a period of one year at a time:

Provided further that not less than one-third of the non-official members nominated under this clause shall be women:

Provided also that not less than one-third of the non-official members shall be belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes and Minorities;

(e) such number of representatives of the States as the Central Government may, by rules, determine in this behalf;

(f) a Member-Secretary not below the rank of Joint Secretary to the Government of India.

(4) The terms and conditions subject to which the Chairperson and other members of the Central Council may be appointed and the time, place and procedure of the meetings (including the quorum at such meetings) of the Central Council shall be such as may be prescribed by the Central Government.

11. (1) The Central Council shall perform and discharge the following functions and duties, namely:—

Functions and
duties of
Central
Council.

(a) establish a central evaluation and monitoring system;

(b) advise the Central Government on all matters concerning the implementation of this Act;

(c) review the monitoring and redressal mechanism from time to time and recommend improvements required;

(d) promote the widest possible dissemination of information about the Schemes made under this Act;

(e) monitoring the implementation of this Act;

(f) preparation of annual reports to be laid before Parliament by the Central Government on the implementation of this Act;

(g) any other duty or function as may be assigned to it by the Central Government.

(2) The Central Council shall have the power to undertake evaluation of the various Schemes made under this Act and for that purpose collect or cause to be collected statistics pertaining to the rural economy and the implementation of the Schemes.

State
Employment
Guarantee
Council.

12. (1) For the purposes of regular monitoring and reviewing the implementation of this Act at the State level, every State Government shall constitute a State Council to be known as the(name of the State) State Employment Guarantee Council with a Chairperson and such number of official members as may be determined by the State Government and not more than fifteen non-official members nominated by the State Government from Panchayati Raj institutions, organisations of workers and disadvantaged groups:

Provided that not less than one-third of the non-official members nominated under this clause shall be women:

Provided further that not less than one third of the non-official members shall be belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes and Minorities.

(2) The terms and conditions subject to which the Chairperson and members of the State Council may be appointed and the time, place and procedure of the meetings (including the quorum at such meetings) of the State Council shall be such as may be prescribed by the State Government.

(3) The duties and functions of the State Council shall include—

(a) advising the State Government on all matters concerning the Scheme and its implementation in the State;

(b) determining the preferred works;

(c) reviewing the monitoring and redressal mechanisms from time to time and recommending improvements;

(d) promoting the widest possible dissemination of information about this Act and the Schemes under it;

(e) monitoring the implementation of this Act and the Schemes in the State and coordinating such implementation with the Central Council;

(f) preparing the annual report to be laid before the State Legislature by the State Government;

(g) any other duty or function as may be assigned to it by the Central Council or the State Government.

(3) The State Council shall have the power to undertake an evaluation of the Schemes operating in the State and for that purpose to collect or cause to be collected statistics pertaining to the rural economy and the implementation of the Schemes and Programmes in the State.

13. (1) The Panchayats at district, intermediate and village levels shall be the principal authorities for planning and implementation of the Schemes made under this Act.

Principal authorities for planning and implementation of Schemes.

(2) The functions of the Panchayats at the district level shall be—

(a) to finalise and approve blockwise shelf of projects to be taken up under a programme under the Scheme;

(b) to supervise and monitor the projects taken up at the Block level and district level; and

(c) to carry out such other functions as may be assigned to it by the State Council, from time to time.

(3) The functions of the Panchayat at intermediate level shall be—

(a) to approve the Block level Plan for forwarding it to the district Panchayat at the district level for final approval;

(b) to supervise and monitor the projects taken up at the Gram Panchayat and Block level; and

(c) to carry out such other functions as may be assigned to it by the State Council, from time to time.

(4) The District Programme Coordinator shall assist the Panchayat at the district level in discharging its functions under this Act and any Scheme made thereunder.

14. (1) The Chief Executive Officer of the District Panchayat or the Collector of the district or any other district level officer of appropriate rank as the State Government may decide shall be designated as the District Programme Coordinator for the implementation of the Scheme in the district.

District Programme Coordinator.

(2) The District Programme Coordinator shall be responsible for the implementation of the Scheme in the district in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder.

(3) The functions of the District Programme Coordinator shall be—

(a) to assist the district Panchayat in discharging its functions under this Act and any scheme made thereunder;

(b) to consolidate the plans prepared by the Blocks and project proposals received from other implementing agencies for inclusion in the shelf of projects to be approved by the Panchayat at district level;

(c) to accord necessary sanction and administrative clearance, wherever necessary;

(d) to coordinate with the Programme Officers functioning within his jurisdiction and the implementing agencies to ensure that the applicants are provided employment as per their entitlements under this Act;

(e) to review, monitor and supervise the performance of the Programme Officers;

(f) to conduct periodic inspection of the works in progress; and

(g) to redress the grievances of the applicants.

(4) The State Government shall delegate such administrative and financial powers to the District Programme Coordinator as may be required to enable him to carry out his functions under this Act.

(5) The Programme Officer appointed under sub-section (1) of section 15 and all other officers of the State Government and local authorities and bodies functioning within the district shall be responsible to assist the District Programme Coordinator in carrying out his functions under this Act and the Schemes made thereunder.

(6) The District Programme Coordinator shall prepare in the month of December every year a labour budget for the next financial year containing the details of anticipated demand

for unskilled manual work in the district and the plan for engagement of labourers in the works covered under the Scheme and submit it to the district panchayat.

Programme
Officer.

15. (1) At every Panchayat at intermediate level, the State Government shall appoint a person who is not below the rank of Block Development Officer with such qualifications and experience as may be determined by the State Government as Programme Officer at the Panchayat at intermediate level.

(2) The Programme Officer shall assist the Panchayat at intermediate level in discharging its functions under this Act and any Scheme made thereunder.

(3) The Programme Officer shall be responsible for matching the demand for employment with the employment opportunities arising from projects in the area under his jurisdiction.

(4) The Programme Officer shall prepare a plan for the Block under his jurisdiction by consolidating the project proposals prepared by the Gram Panchayats and the proposals received from intermediate panchayats.

(5) The functions of the Programme Officer shall include—

(a) monitoring of projects taken up by the Gram Panchayats and other implementing agencies within the Block;

(b) sanctioning and ensuring payment of unemployment allowance to the eligible households;

(c) ensuring prompt and fair payment of wages to all labourers employed under a programme of the Scheme within the Block;

(d) ensuring that regular social audits of all works within the jurisdiction of the Gram Panchayat are carried out by the Gram Sabha and that prompt action is taken on the objections raised in the social audit;

(e) dealing promptly with all complaints that may arise in connection with the implementation of the Scheme within the Block; and

(f) any other work as may be assigned to him by the District Programme Coordinator or the State Government.

(6) The Programme Officers shall function under the direction, control and superintendence of the District Programme Coordinator.

(7) The State Government may, by order, direct that all or any of the functions of a Programme Officer shall be discharged by the Gram Panchayat or a local authority.

Responsibilities
of the Gram
Panchayats.

16. (1) The Gram Panchayat shall be responsible for identification of the projects in the Gram Panchayat area to be taken up under a Scheme as per the recommendations of the Gram Sabha and the Ward Sabhas and for executing and supervising such works.

(2) A Gram Panchayat may take up any project under a Scheme within the area of the Gram Panchayat as may be sanctioned by the Programme Officer.

(3) Every Gram Panchayat shall, after considering the recommendations of the Gram Sabha and the Ward Sabhas, prepare a development plan and maintain a shelf of possible works to be taken up under the Scheme as and when demand for work arises.

(4) The Gram Panchayat shall forward its proposals for the development projects including the order of priority between different works to the Programme Officer for scrutiny and preliminary approval prior to the commencement of the year in which it is proposed to be executed.

(5) The Programme Officer shall allot at least fifty per cent. of the works in terms of its cost under a Scheme to be implemented through the Gram Panchayats.

(6) The Programme Officer shall supply each Gram Panchayat with—

- (a) the muster rolls for the works sanctioned to be executed by it; and
- (b) a list of employment opportunities available elsewhere to the residents of the Gram Panchayat.

(7) The Gram Panchayat shall allocate employment opportunities among the applicants and ask them to report for work.

(8) The works taken up by a Gram Panchayat under a Scheme shall meet the required technical standards and measurements.

17. (1) The Gram Sabha shall monitor the execution of works within the Gram Panchayat.

Social audit of work by Gram Sabha.

(2) The Gram Sabha shall conduct regular social audits of all the projects under the Scheme taken up within the Gram Panchayat.

(3) The Gram Panchayat shall make available all relevant documents including the muster rolls, bills, vouchers, measurement books, copies of sanction orders and other connected books of account and papers to the Gram Sabha for the purpose of conducting the social audit.

18. The State Government shall make available to the District Programme Coordinator and the Programme Officers necessary staff and technical support as may be necessary for the effective implementation of the Scheme.

Responsibilities of State Government in implementing Scheme.

19. The State Government shall, by rules, determine appropriate grievance redressal mechanisms at the Block level and the district level for dealing with any complaint by any person in respect of implementation of the Scheme and lay down the procedure for disposal of such complaints.

Grievance redressal mechanism.

CHAPTER V

ESTABLISHMENT OF NATIONAL AND STATE EMPLOYMENT GUARANTEE FUNDS AND AUDIT

20. (1) The Central Government shall, by notification, establish a fund to be called the National Employment Guarantee Fund for the purposes of this Act.

National Employment Guarantee Fund.

(2) The Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, credit by way of grants or loans such sums of money as the Central Government may consider necessary to the National Fund.

(3) The amount standing to the credit of the National Fund shall be utilised in such manner and subject to such conditions and limitations as may be prescribed by the Central Government.

21. (1) The State Government may, by notification, establish a fund to be called the State Employment Guarantee Fund for the purposes of implementation of the Scheme.

State Employment Guarantee Fund.

(2) The amount standing to the credit of the State Fund shall be expended in such manner and subject to such conditions and limitations as may be prescribed by the State Government for the purposes of implementation of this Act and the Schemes made thereunder and for meeting the administrative expenses in connection with the implementation of this Act.

(3) The State Fund shall be held and administered on behalf of the State Government in such manner and by such authority as may be prescribed by the State Government.

22. (1) Subject to the rules as may be made by the Central Government in this behalf, the Central Government shall meet the cost of the following, namely:—

Funding pattern.

- (a) the amount required for payment of wages for unskilled manual work under the Scheme;

(b) up to three-fourths of the material cost of the Scheme including payment of wages to skilled and semi-skilled workers subject to the provisions of Schedule II;

(c) such percentage of the total cost of the Scheme as may be determined by the Central Government towards the administrative expenses, which may include the salary and allowances of the Programme Officers and his supporting staff, the administrative expenses of the Central Council, facilities to be provided under Schedule II and such other item as may be decided by the Central Government.

(2) The State Government shall meet the cost of the following, namely:—

(a) the cost of unemployment allowance payable under the Scheme;

(b) one-fourth of the material cost of the Scheme including payment of wages to skilled and semi-skilled workers subject to the provisions of Schedule II;

(c) the administrative expenses of the State Council.

Transparency
and
accountability.

23. (1) The District Programme Coordinator and all implementing agencies in the District shall be responsible for the proper utilisation and management of the funds placed at their disposal for the purpose of implementing a Scheme.

(2) The State Government may prescribe the manner of maintaining proper books and accounts of employment of labourers and the expenditure incurred in connection with the implementation of the provisions of this Act and the Schemes made thereunder.

(3) The State Government may, by rules, determine the arrangements to be made for the proper execution of Schemes and programmes under the Schemes and to ensure transparency and accountability at all levels in the implementation of the Schemes.

(4) All payments of wages in cash and unemployment allowances shall be made directly to the person concerned and in the presence of independent persons of the community on pre-announced dates.

(5) If any dispute or complaint arises concerning the implementation of a Scheme by the Gram Panchayat, the matter shall be referred to the Programme Officer.

(6) The Programme Officer shall enter every complaint in a complaint register maintained by him and shall dispose of the disputes and complaints within seven days of its receipt and in case it relates to a matter to be resolved by any other authority it shall be forwarded to such authority under intimation to the complainant.

Audit of
accounts.

24. (1) The Central Government may, in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, prescribe appropriate arrangements for audits of the accounts of the Schemes at all levels.

(2) The accounts of the Scheme shall be maintained in such form and in such manner as may be prescribed by the State Government.

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS

Penalty
for non-
compliance.

25. Whoever contravenes the provisions of this Act shall on conviction be liable to a fine which may extend to one thousand rupees.

Power to
delegate.

26. (1) The Central Government may, by notification, direct that the powers exercisable by it (excluding the power to make rules) may, in such circumstances and subject to such conditions and limitations, be exercisable also by the State Government or such officer subordinate to the Central Government or the State Government as it may specify in such notification.

(2) The State Government may, by notification, direct that the powers exercisable by it (excluding the power to make rules and Schemes) may, in such circumstances and subject to such conditions and limitations, be exercisable also by such officer subordinate to it as it may specify in such notification.

27. (1) The Central Government may give such directions as it may consider necessary to the State Government for the effective implementation of the provisions of this Act.

Power of Central Government to give directions.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the Central Government may, on receipt of any complaint regarding the issue or improper utilisation of funds granted under this Act in respect of any Scheme if *prima facie* satisfied that there is a case, cause an investigation into the complaint made by any agency designated by it and if necessary, order stoppage of release of funds to the Scheme and institute appropriate remedial measures for its proper implementation within a reasonable period of time.

28. The provisions of this Act or the Schemes made thereunder shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of such law:

Act to have overriding effect.

Provided that where a State enactment exists or is enacted to provide employment guarantee for unskilled manual work to rural households consistent with the provisions of this Act under which the entitlement of the households is not less than and the conditions of employment are not inferior to what is guaranteed under this Act, the State Government shall have the option of implementing its own enactment:

Provided further that in such cases the financial assistance shall be paid to the concerned State Government in such manner as shall be determined by the Central Government, which shall not exceed what the State would have been entitled to receive under this Act had a Scheme made under this Act had to be implemented.

29. (1) If the Central Government is satisfied that it is necessary or expedient so to do, it may, by notification, amend Schedule I or Schedule II and thereupon Schedule I or Schedule II, as the case may be, shall be deemed to have been amended accordingly.

Power to amend Schedules.

(2) A copy of every notification made under sub-section (1) shall be laid before each House of Parliament as soon as may be after it is made.

30. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the District Programme Coordinator, Programme Officer or any other person who is, or who is deemed to be, a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code in respect of anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules or Schemes made thereunder.

Protection of action taken in good faith.

31. (1) The Central Government may, by notification, and subject to the condition of previous publication, make rules to carry out the provisions of this Act.

Power of Central Government to make rules.

(2) In particular, and without the prejudice of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the number of representatives of the State Governments under clause (e) of sub-section (3) of section 10;

(b) the terms and conditions subject to which the Chairman and other members of the Central Council may be appointed, and the time, place and procedure of the meetings (including the quorum at such meetings) of the Central Council, under sub-section (4) of section 10;

(c) the manner in which and the conditions and limitations subject to which the National Fund shall be utilised under sub-section (3) of section 20;

(d) the rules relating to funding pattern to meet the cost of certain items under sub-section (1) of section 22;

(e) any other matter which is to be, or may be, prescribed or in respect of which provision is to be made by the Central Government by rules.

32. (1) The State Government may, by notification, and subject to the condition of previous publication, and consistent with this Act and the rules made by the Central Government, make rules to carry out the provisions of this Act.

Power of State Government to make rules.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the terms and conditions upon which eligibility for unemployment allowance may be determined under sub-section (2) of section 7;

(b) the procedure for payment of unemployment allowance under sub-section (6) of section 7;

(c) the terms and conditions subject to which the Chairperson and members of the State Council may be appointed, and the time, place and procedure of the meetings (including the quorum at such meetings) of their appointment to the State Council, under sub-section (2) of section 12;

(d) the grievance redressal mechanism at the Block level and the District level and the procedure to be followed in such matter under section 19;

(e) the manner in which and the conditions and limitations subject to which the State Fund shall be utilised under sub-section (2) of section 21;

(f) the authority who may administer and the manner in which he may hold the State Fund under sub-section (3) of section 21;

(g) the manner of maintaining books of account of employment of labourers and the expenditure under sub-section (2) of section 23;

(h) the arrangements required for proper execution of Schemes under sub-section (3) of section 23;

(i) the form and manner in which the accounts of the Scheme shall be maintained under sub-section (2) of section 24;

(j) any other matter which is to be, or may be, prescribed or in respect of which provision is to be made by the State Government by rules.

Laying of
rules and
Schemes.

33. (1) Every rule made by the Central Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both the Houses agree that the rule should not be made, the rule shall have thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

(2) Every rule or Scheme made by the State Government under this Act shall, as soon as may be after it is made, be laid before each House of the State Legislature where there are two Houses, and where there is one House of the State Legislature, before that House.

Power to
remove
difficulties.

34. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of three years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament.

SCHEDULE I

[See section 4(3)]

MINIMUM FEATURES OF A RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE SCHEME

1. The focus of the Scheme shall be on the following works in their order of priority:—
 - (i) water conservation and water harvesting;
 - (ii) drought proofing (including afforestation and tree plantation);
 - (iii) irrigation canals including micro and minor irrigation works;
 - (iv) provision of irrigation facility to land owned by households belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes or to land of beneficiaries of land reforms or that of the beneficiaries under the Indira Awas Yojana of the Government of India;
 - (v) renovation of traditional water bodies including desilting of tanks;
 - (vi) land development;
 - (vii) flood control and protection works including drainage in water logged areas;
 - (viii) rural connectivity to provide all-weather access; and
 - (ix) any other work which may be notified by the Central Government in consultation with the State Government.
2. Creation of durable assets and strengthening the livelihood resource base of the rural poor shall be an important objective of the Scheme.
3. The works taken up under the scheme shall be in rural areas.
4. The State Council shall prepare a list of preferred works for different areas based on their ability to create durable assets.
5. The Scheme shall be subject to appropriate arrangements as may be laid down by the State Government under the rules issued by it for proper maintenance of the public assets created under the Scheme.
6. Under no circumstances shall the labourers be paid less than the wage rate.
7. When wages are directly linked with the quantity of work, the wages shall be paid according to the schedule of rates fixed by the State Government for different types of work every year, in consultation with the State Council.
8. The schedule of rates of wages for unskilled labourers shall be so fixed that a person working for seven hours would normally earn a wage equal to the wage rate.¹
9. The cost of material component of projects including the wages of the skilled and semi-skilled workers taken up under the Scheme shall not exceed forty per cent. of the total project costs.
10. It shall be open to the Programme Officer and Gram Panchayat to direct any person who applied for employment under the Scheme to do work of any type permissible under it.
11. The Scheme shall not permit engaging any contractor for implementation of the projects under it.
12. As far as practicable, a task funded under the Scheme shall be performed by using manual labour and not machines.
13. Every Scheme shall contain adequate provisions for ensuring transparency and accountability at all level of implementation.
14. Provisions for regular inspection and supervision of works taken up under the Scheme shall be made to ensure proper quality of work as well as to ensure that the total wages paid for the completion of the work is commensurate with the quality and quantity of work done.

15. The District Programme Coordinator, the Programme Officer and the Gram Panchayat implementing the Scheme shall prepare annually a report containing the facts and figures and achievements relating to the implementation of the Scheme within his or its jurisdiction and a copy of the same shall be made available to the public on demand and on payment of such fee as may be specified in the Scheme.

16. All accounts and records relating to the Scheme shall be made available for public scrutiny and any person desirous of obtaining a copy or relevant extracts therefrom may be provided such copies or extracts on demand and after paying such fee as may be specified in the Scheme.

17. A copy of the muster rolls of each Scheme or project under a Scheme shall be made available in the offices of the Gram Panchayat and the Programme Officer for inspection by any person interested after paying such fee as may be specified in the Scheme.

SCHEDULE II

(See section 5)

CONDITIONS FOR GUARANTEED RURAL EMPLOYMENT UNDER A SCHEME AND MINIMUM ENTITLEMENTS OF LABOURERS

1. The adult members of every household who—

- (i) reside in any rural areas; and
- (ii) are willing to do unskilled manual work,

may submit their names, age and the address of the household to the Gram Panchayat at the village level (hereafter in this Schedule referred to as the Gram Panchayat) in the jurisdiction of which they reside for registration of their household for issuance of a job card.

2. It shall be the duty of the Gram Panchayat to register the household, after making such enquiry as it deems fit and issue a job card containing such details of adult members of the household affixing their photographs, as may be specified by the State Government in the Scheme.

3. The registration made under paragraph 2 shall be for such period as may be laid in the Scheme, but in any case not less than five years, and may be renewed from time to time.

4. Every adult member of a registered household whose name appears in the job card shall be entitled to apply for unskilled manual work under the Scheme.

5. All registered persons belonging to a household shall be entitled to employment in accordance with the Scheme made under the provisions of this Act, for as many days as each applicant may request, subject to a maximum of one hundred days per household in a given financial year.

6. The Programme Officer shall ensure that every applicant referred to in paragraph 5 shall be provided unskilled manual work in accordance with the provisions of the Scheme within fifteen days of receipt of an application or from the date he seeks work in case of advance application, whichever is later:

Provided that priority shall be given to women in such a way that at least one-third of the beneficiaries shall be women who have registered and requested for work under this Act.

7. Applications for work must be for at least fourteen days of continuous work.

8. There shall be no limit on the number of days of employment for which a person may apply, or on the number of days of employment actually provided to him subject to the aggregate entitlement of the household.

9. Applications for work may be submitted in writing either to the Gram Panchayat or to the Programme Officer, as may be specified in the Scheme.

10. The Gram Panchayat and Programme Officer, as the case may be, shall be bound to accept valid applications and to issue a dated receipt to the applicant. Group applications may also be submitted.

11. Applicants who are provided with work shall be so intimated in writing, by means of a letter sent to him at the address given in the job card and by a public notice displayed at the office of the Panchayats at the district, intermediate or village level.

12. As far as possible, employment shall be provided within a radius of five kilometres of the village where the applicant resides at the time of applying.

13. A new work under the Scheme shall be commenced only if—

(a) at least fifty labourers become available for such work; and

(b) the labourers cannot be absorbed in the ongoing works:

Provided that this condition shall not be applicable for new works, as determined by the State Government, in hilly areas and in respect of afforestation.

14. In cases the employment is provided outside such radius, it must be provided within the Block, and the labourers shall be paid ten per cent. of the wage rate as extra wages to meet additional transportation and living expenses.

15. A period of employment shall ordinarily be at least fourteen days continuously with not more than six days in a week.

16. In all cases where unemployment allowance is paid, or due to be paid, the Programme Officer shall inform the District Programme Coordinator in writing the reasons why it was not possible for him to provide employment or cause to provide employment to the applicants.

17. The District Programme Coordinator shall, in his Annual Report to the State Council, explain as to why employment could not be provided in cases where payment of unemployment allowance is involved.

18. Provision shall be made in the Scheme for advance applications, that is, applications which may be submitted in advance of the date from which employment is sought.

19. Provision shall be made in the Scheme for submission of multiple applications by the same person provided that the corresponding periods for which employment is sought do not overlap.

20. The Gram Panchayat shall prepare and maintain or cause to be prepared and maintained such registers, vouchers and other documents in such form and in such manner as may be specified in the Scheme containing particulars of job cards and passbooks issued, name, age and address of the head of the household and the adult members of the household registered with the Gram Panchayat.

21. The Gram Panchayat shall send such list or lists of the names and addresses of households and their adult members registered with it and supply such other information to the concerned Programme Officer at such periods and in such form as may be specified in the Scheme.

22. A list of persons who are provided with the work shall be displayed on the notice board of the Gram Panchayat and at the office of the Programme Officer and at such other places as the Programme Officer may deem necessary and the list shall be open for inspection by the State Government and any person interested.

23. If the Gram Panchayat is satisfied at any time that a person has registered with it by furnishing false information, it may direct the Programme Officer to direct his name to be struck off from the register and direct the applicant to return the job card:

Provided that no such action under this paragraph shall be directed unless the applicant has been given an opportunity of being heard in the presence of two independent persons.

24. If any personal injury is caused to any person employed under the Scheme by accident arising out of and in the course of his employment, he shall be entitled to, free of charge, such medical treatment as is admissible under the Scheme.

25. Where hospitalisation of the injured worker is necessary, the State Government shall arrange for such hospitalisation including accommodation, treatment, medicines and payment of daily allowance not less than half of the wage rate required to be paid had the injured been engaged in the work.

26. If a person employed under a Scheme dies or becomes permanently disabled by accident arising out of and in the course of employment, he shall be paid by the implementing agency an *ex gratia* payment at the rate of twenty-five thousand rupees or such amount as may be notified by the Central Government, and the amount shall be paid to the legal heirs of the deceased or the disabled, as the case may be.

27. The facilities of safe drinking water, shade for children and periods of rest, first-aid box with adequate material for emergency treatment for minor injuries and other health hazards connected with the work being performed shall be provided at the work site.

28. In case the number of children below the age of six years accompanying the women working at any site are five or more, provisions shall be made to depute one of such women worker to look after such children.

29. The person deputed under paragraph 28 shall be paid wage rate.

30. In case the payment of wages is not made within the period specified under the Scheme, the labourers shall be entitled to receive payment of compensation as per the provisions of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936).

31. The wages under a Scheme may be paid either wholly in cash or in cash and kind provided that at least one-fourth of the wages shall be paid in cash only.

32. The State Government may prescribe that a portion of the wages in cash may be paid to the labourers on a daily basis during the period of employment.

33. If any personal injury is caused by accident to a child accompanying any person who is employed under a Scheme, such person shall be entitled to, free of charge, such medical treatment for the child as may be specified in the Scheme and in case of death or disablement, through an *ex gratia* payment as may be determined by the State Government.

34. In case of every employment under the Scheme, there shall be no discrimination solely on the ground of gender and the provisions of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976), shall be complied with.

4

B. A. AGRAWAL,
Addl. Secretary to the Govt. of India.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग २-अनुभाग १क
PART II-Section 1A

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ५]	नई दिल्ली, शनिवार, १० दिसम्बर, २००५/१९ अग्रहायण, १९२७ (शक)	खंड XLI]
NO. 5]	NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 10, 2005/AGRAHAYANA 19, 1927 (SAKA)	VOL. XLI]

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, १० दिसम्बर, २००५/१९ अग्रहायण, १९२७ (शक)

दि नेशनल कमिशन फार माइनॉरिटी एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट्स ऐक्ट, २००४; (२) दि श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फार मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नालाजी, त्रिवेन्द्रम (अमेन्डमेंट) ऐक्ट, २००५; और (३) दि नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट गारंटी ऐक्ट, २००५ के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, १९६३ (१९६३ का १९) की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे :-

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, December 10, 2005 /Agrahayana 19, 1927 (Saka)

The translation in Hindi of the following, namely :- (1) The National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004; (2) the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum (Amendment) Act, 2005; and (3) The National Rural Employment Guarantee Act, 2005 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963) :-

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 42)

[5 सितम्बर, 2005]

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गृहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा को, प्रत्येक ऐसी गृहस्थी को, जिसके घर एक सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों का गारंटीकृत मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, धर्मित करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुवंशिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छपमनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 है।

संक्षिप्त
विस्तार
प्रारंभ।

(2) इसका विस्तार, जम्मू-कश्मीर राज्य को सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे; और विभिन्न राज्यों या किसी राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा ऐसे किसी उपबंध में, इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह, बहालस्थिति, ऐसे राज्य या ऐसे क्षेत्र में उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

परन्तु यह अधिनियम उस सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र को, जिस पर इसका विस्तार है, इस अधिनियम के अधिनियमन की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर लागू होगा।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

वर्तितव्य।

(क) "व्ययक्त" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

(ख) "आवेदक" से किसी गृहस्थी का प्रमुख या उसके अन्य घरक सदस्यों में से कोई अभिप्रेत है, जिसने स्थान के अधीन नियोजन के लिए आवेदन किया है;

(ग) "क्षेत्र" से किसी जिले के भीतर कोई सामुदायिक विकास क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ग्राम पंचायतों का एक समूह है;

(ग) "केंद्रीय परिषद्" से धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन गठित केंद्रीय नियोजन गारंटी परिषद् अभिप्रेत है ;

(घ) "जिला कार्यक्रम समन्वयक" से किसी जिले में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन उस स्म में पदामिहित राज्य सरकार का कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(च) "गृहस्थी" से किसी कुटुम्ब के सदस्य अभिप्रेत हैं, जो एक दूसरे से रक्त, विवाह या दत्तकग्रहण द्वारा संबंधित हैं और सामान्यतः एक साथ निवास करते हैं तथा सम्मिलित स्म से भोजन करते हैं या एक सामान्य रहन काई रखते हैं ;

(छ) "कार्यान्वयन अधिकरण" में केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का कोई विभाग, कोई जिला परिषद्, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या कोई स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी उपक्रम या गैर सरकारी संगठन, जिसे किसी स्कीम के अधीन किए जाने वाले किसी कार्य का कार्यान्वयन करने के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है, सम्मिलित हैं ;

(ज) किसी क्षेत्र के संबंध में "न्यूनतम मजदूरी" से कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी अभिप्रेत है, जो उस क्षेत्र में लागू है ;

1948 का 11

(झ) "राष्ट्रीय निधि" से धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय नियोजन गारंटी निधि अभिप्रेत है ;

(ञ) "अधिरूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिरूचना अभिप्रेत है ;

(ट) "अधिमार्जित कार्य" से कोई ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसे किसी स्कीम के अधीन पूर्णिकता के आधार पर कार्यान्वयन के लिए किया जाता है ;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ड) "कार्यक्रम अधिकारी" से स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ढ) "परियोजना" से आवेदकों को नियोजन उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए किसी स्कीम के अधीन किया जाने वाला कोई कार्य अभिप्रेत है ;

(ण) "ग्रामीण क्षेत्र" से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित या गठित किसी ग्रामीण स्थानीय निकाय या किसी छवनी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को सिवाय किसी राज्य में कोई क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(त) "स्कीम" से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई स्कीम अभिप्रेत है ;

(थ) "राज्य परिषद्" से धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य नियोजन गारंटी परिषद् अभिप्रेत है ;

(द) "अकुराल शारीरिक कार्य" से कोई भौतिक कार्य अभिप्रेत है जिसे कोई

यद्यपि व्यक्ति किसी कौशल या विशेष प्रशिक्षण के बिना करने में समर्थ है ;

(घ) "मजदूरी दर" से धारा 8 में निर्दिष्ट मजदूरी दर अभिप्रेत है।

अध्याय 2

ग्रामीण क्षेत्र में नियोजन की गारंटी

3. (1) यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, राज्य सरकार राज्य में ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, प्रत्येक गृहस्थों को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, इस अधिनियम के अधीन बनाई गई स्कीम के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में सौ दिनों से अग्यून के लिए ऐसा कार्य उपलब्ध करवणी।

निर्धन गृहस्थों को ग्रामीण नियोजन की गारंटी।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसने स्कीम के अधीन उसे दिया गया कार्य किया है, प्रत्येक कार्य दिवस के लिए मजदूरी की दर से मजदूरी प्राप्त करने का हकदार होगा।

(3) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय दैनिक मजदूरी का संवितरण साप्ताहिक आधार पर या किसी भी वस्तु में उस तारीख के पश्चात् जिसको ऐसा कार्य किया गया था पन्द्रह दिन के अंतरवात् किया जाएगा।

(4) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर किसी स्कीम के अधीन किसी गृहस्थों के प्रत्येक वयस्क सदस्य के लिए उपधारा (1) के अधीन गारंटीकृत अवधि के परे किसी अवधि के लिए जो समीचीन हो, कार्य सुनिश्चित करने के लिए उपबंध कर सकेंगी।

अध्याय 3

नियोजन गारंटी स्कीमों और बेकारी भत्ता

4. (1) धारा 3 के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास के भीतर, स्कीम के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गृहस्थों को जिसके वयस्क सदस्य इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन और स्कीम में अधिकृत शर्तों के अधीन रहते हुए अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, किसी वित्तीय वर्ष में सौ दिनों से अग्यून का गारंटीकृत नियोजन उपलब्ध कराने के लिए अधिसूचना द्वारा एक स्कीम बनाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नियोजन गारंटी स्कीमों।

परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा किसी ऐसी स्कीम को अधिसूचित किए जाने तक सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के लिए वार्षिक कारवाई योजना या मासिक योजना या राष्ट्रीय काम के लिए अमास कार्य कार्यक्रम, जो ऐसी अधिसूचना से ठीक पूर्व संबंधित क्षेत्र में प्रवृत्त है इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए स्कीम हेतु कारवाई योजना समझा जाएगा।

(2) राज्य सरकार कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में, जिनमें से एक ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों में जिसको ऐसी स्कीम लागू होगी, परिचालित जन भाषा में होगा, उसके द्वारा बनाई गई स्कीम का सार प्रकाशित करेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम शर्तों के लिए उपबंध करेगी।

5. (1) राज्य सरकार अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अधीन गारंटीकृत नियोजन उपलब्ध कराने के लिए स्कीम में शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

गारंटीकृत नियोजन उपलब्ध कराने के लिए शर्तें।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन नियोजित व्यक्ति ऐसी सुविधाओं का हकदार होगा जो अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम सुविधाओं से कम नहीं है।

मजदूरी दर।

6. (1) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा, मजदूरी दर विनिर्दिष्ट कर सकेगी :

1948 का 11

परन्तु यह कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए मजदूरी की भिन्न-भिन्न दरें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी :

परन्तु यह और कि किसी ऐसी अधिसूचना के अधीन समय-समय पर विनिर्दिष्ट मजदूरी दर साठ रुपए प्रतिदिन से कम की दर पर नहीं होगी।

(2) किसी राज्य में किसी क्षेत्र के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई मजदूरी दर नियत किए जाने के समय तक, कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी उस क्षेत्र को लागू मजदूरी दर समझी जाएगी।

1948 का 13

बेकारी भत्ते का
संदर्भ।

7. (1) यदि स्कीम के अधीन नियोजन के लिए किसी आवेदक को, नियोजन चाहने वाले उसके आवेदन की प्राप्ति के या उस तारीख से जिसको किसी अंतिम आवेदन की दशा में नियोजन चाहा गया है, इनमें से जो भी पश्चात्पत्ती हो, पन्द्रह दिन के भीतर ऐसा नियोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह इस धारा के अनुसार एक दैनिक बेकारी भत्ते का हकदार होगा।

(2) पात्रता के ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए तथा इस अधिनियम और स्कीमों और राज्य सरकार की आर्थिक समता के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के अधीन संदेय बेकारी भत्ता किसी गृहस्थी के आवेदकों को गृहस्थी की हकालत के अधीन रहते हुए, ऐसी दर से जो राज्य परिषद् के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, संभल किया जाएगा :

परन्तु यह कि कोई ऐसी दर वित्तीय वर्ष के दौरान पहले तीस दिनों के लिए मजदूरी दर के एक चौथाई से कम नहीं होगी और वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए मजदूरी दर को एक बटा दो से अनुरूप नहीं होगी।

(3) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी गृहस्थी को बेकारी भत्ते का संदाय करने का राज्य सरकार का दायित्व समाप्त हो जाएगा जैसे ही —

(क) आवेदक को ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा या तो स्वयं कार्य के लिए रिपोर्ट करने या उत्तरी गृहस्थी के कम से कम एक दयस्क सदस्य को तैनात करने के लिए निर्देशित किया जाता है ; या

(ख) वह अवधि जिसके लिए नियोजन चाहा गया है, समाप्त हो जाती है और आवेदक की गृहस्थी का कोई सदस्य नियोजन के लिए नहीं आता है ; या

(ग) आवेदक की गृहस्थी के दयस्क सदस्यों ने उस वित्तीय वर्ष के भीतर कुल मिलाकर कम से कम सौ दिनों का कार्य प्राप्त कर लिया है ; या

(घ) आवेदक की गृहस्थी ने मजदूरी और बेकारी भत्ता दोनों को मिलाकर उतना उपार्जित कर लिया है, जो वित्तीय वर्ष के दौरान कार्य के सौ दिनों की मजदूरी के बराबर है।

(4) गृहस्थी के किसी आवेदक को संयुक्त रूप से संदेय बेकारी भत्ता कार्यक्रम अधिकारी या ऐसे स्थानीय प्राधिकारी द्वारा (जिसको अन्तर्गत जिला माध्यमों या ग्राम स्तर का पंचायत है), जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करे, मंजूर और संचित किया जाएगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन बेकारी भत्ते का प्रत्येक संदाय उस तारीख से जिसको वह संदाय के लिए शोध्य हो जाता है, पन्द्रह दिन के अंतरवात् किया जाएगा या प्रस्तापित किया जाएगा।

(6) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन बेकारी भत्ते के संदाय के लिए प्रक्रिया निहित कर सकेगी।

8. (1) यदि कार्यक्रम अधिकारी, अपने नियंत्रण के परे किसी कारण से बेकारी भत्ते का समय पर या वित्तीय संचित करने की स्थिति में नहीं है, तो वह जिला कार्यक्रम समन्वयक को मामले की रिपोर्ट करेगा और अपने सूचना बट्ट पर और ग्राम पंचायत के सूचना बट्ट पर तथा ऐसे अन्य सहजदृश्य स्थानों पर जो वह आवश्यक समझे, संप्रसारित की जाने वाली किसी सूचना में ऐसे कारणों की घोषणा करेगा।

(2) बेकारी भत्ते का संदाय न करने या विलंब से संदाय के प्रत्येक मामले की जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्ट में, ऐसे संदाय न करने या विलंब से संदाय के कारणों सहित, रिपोर्ट की जाएगी।

(3) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट किए गए बेकारी भत्ते का संबंधित गृहस्थी को यथासंभव शीघ्रता से संदाय करने के सभी उपाय करेगी।

9. कोई आवेदक जो—

(क) किसी स्कीम के अधीन अपनी गृहस्थी को उपलब्ध नियोजन स्वीकार नहीं करता है; या

(ख) कार्य के लिए रिपोर्ट करने के लिए कार्यक्रम अधिकारी या कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा अधिसूचित किए जाने के पन्द्रह दिन के भीतर कार्य के लिए रिपोर्ट नहीं करता है; या

(ग) संबंधित कार्यान्वयन अभिकरण से कोई अनुज्ञा प्राप्त किए बिना एक सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए कार्य से लगातार अनुपस्थित रहता है या किसी मारा में एक सप्ताह से अधिक की कुल अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है,

तो वह तीन मास की अवधि के लिए इस अधिनियम के अधीन संदेय बेकारी भत्ते का दावा करने का हकदार नहीं होगा किन्तु किसी भी समय स्कीम के अधीन नियोजन चाहने का हकदार होगा।

अध्याय 4

कार्यान्वित और मानीटर करने वाले प्राधिकारी

10. (1) ऐसी तारीख से, जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद् के नाम से एक परिषद् इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे समनुदेशित कृत्यों और कर्तव्यों का पालन करने के लिए गठित की जाएगी।

(2) केन्द्रीय परिषद् का मुख्यालय दिल्ली में होगा।

कठिनाय
परिस्थितियों में
बेकारी भत्ते का
संचित करने
करना।

कठिनाय
परिस्थितियों में
बेकारी भत्ता प्राप्त
करने के हक से
वंचित रहना।

केन्द्रीय रोजगार
गारंटी परिषद्।

(3) केन्द्रीय परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) अध्यक्ष ;

(ख) केन्द्रीय नज़ारतों के, जिनके अन्तर्गत योजना आयोग भी है, भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून की पंक्ति के उतनी संख्या से अनधिक में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए, प्रतिनिधि ;

(ग) राज्य सरकारों के उतनी संख्या से अनधिक में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए, प्रतिनिधि ;

(घ) पंचायती राज संस्थाओं, कर्मकार संगठनों और अनुविधाप्रस्त समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले पंद्रह से अधिक गैर सरकारी सदस्य ;

परंतु यह कि ऐसे गैर सरकारी सदस्यों में केन्द्रीय सरकार द्वारा एक समय में एक वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम से नामनिर्देशित जिला पंचायतों के दो अध्यक्ष सम्मिलित होंगे ;

परंतु यह और कि इस संख्या के अधीन नामनिर्देशित एक तिहाई से अन्यून गैर सरकारी सदस्य महिलाएं होंगी ;

परंतु यह भी कि गैर सरकारी सदस्यों के एक तिहाई से अन्यून सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के होंगे ;

(ङ) राज्यों के उतनी संख्या में प्रतिनिधि होंगे, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त नियमों द्वारा अवधारित करे ;

(च) भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून की पंक्ति का एक सदस्य सचिव ।

(4) वे निबन्धन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए, केन्द्रीय परिषद् का अध्यक्ष और अन्य सदस्य नियुक्त किए जा सकेंगे तथा केन्द्रीय परिषद् की बैठकों का समय, स्थान और प्रक्रिया (जिसके अन्तर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है) वह होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

11. (1) केन्द्रीय परिषद् निम्नलिखित कृत्यों और कर्तव्यों का पालन और निर्वहन करेगी, अर्थात् :-

(क) केन्द्रीय मूल्यांकन और मानीटरी प्रणाली स्थापित करना ;

(ख) इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित सभी विषयों पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देना ;

(ग) समय-समय पर मानीटरी और प्रतिलोष-संज्ञ का पुनर्विलोकन करना तथा अपेक्षित सुधारों की सिफारिश करना ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन बनाई गई स्कीमों के संबंध में जानकारी के विस्तृत संभव प्रसार का संवर्धन करना ;

(ङ) इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मानीटर करना ;

(च) इस अधिनियम के कार्यान्वयन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा संसद् के समक्ष रखे जाने के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना ;

(छ) कोई अन्य कर्तव्य और कृत्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समनुदेशित किए जाएं।

(2) केन्द्रीय परिषद् को इस अधिनियम के अधीन बनाई गई विभिन्न स्कीमों का मूल्यांकन करने की शक्ति होगी और उस प्रयोजन के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्कीमों के कार्यान्वयन से संबंधित आंकड़े संगृहीत करेगी या संगृहीत वासएगी।

12. (1) राज्य स्तर पर, इस अधिनियम के कार्यान्वयन का नियमित रूप से मानीटर और पुनर्विलोकन करने के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक राज्य सरकार (राज्य का नाम) राज्य सोजगार गारंटी परिषद् के नाम से एक राज्य परिषद् का गठन करेगी जिसमें एक अध्यक्ष और उसकी संख्या में गैर सरकारी सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं तथा राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं, कर्मकार संगठनों और असुविधाग्रस्त समूहों से नामनिर्दिष्ट पंद्रह से अधिक गैर सरकारी सदस्य होंगे :

राज्य सोजगार गारंटी परिषद्।

परन्तु इस खंड के अधीन नामनिर्दिष्ट गैर सरकारी सदस्यों के एक तिहाई से अन्यून सदस्य महिलाएं होंगी :

परंतु यह और कि गैर सरकारी सदस्यों के एक तिहाई से अन्यून सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्प संख्याकों के होंगे।

(2) वे नियमन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए राज्य परिषद् का अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किए जा सकेंगे तथा राज्य परिषद् की बैठकों का समय, स्थान और प्रक्रिया (जिसके अन्तर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है) वह होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

(3) राज्य परिषद् के कर्तव्यों और कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(क) स्कीम और राज्य में उसके कार्यान्वयन से संबंधित सभी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देना ;

(ख) अधिमानित कार्यों का अवधारण करना ;

(ग) समय-समय पर मानीटरी और प्रतिक्रिया तंत्र का पुनर्विलोकन करना तथा अपेक्षित सुधारों की सिफारिश करना ;

(घ) इस अधिनियम और इसके अधीन स्कीमों के संबंध में जानकारी के विस्तृत संग्रह प्रसार का समर्थन करना ;

(ङ) राज्य में इस अधिनियम और स्कीमों के कार्यान्वयन को मानीटर करना तथा ऐसे कार्यान्वयन का केन्द्रीय परिषद् के साथ समन्वय करना ;

(च) राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्टें तैयार करना ;

(छ) कोई अन्य कर्तव्य और कृत्य जो उसे केन्द्रीय परिषद् और राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित किया जाए।

(4) राज्य परिषद् को, राज्य में प्रचालित स्कीमों का मूल्यांकन करने तथा उस प्रयोजन के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्कीमों तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंधित आंकड़े संगृहीत करने या संगृहीत करवाने की शक्ति होगी।

स्कीमों की योजना
और कार्यान्वयन
के लिए प्रधान
प्रतिपादि ।

13. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाई गई स्कीमों की योजना और कार्यान्वयन के लिए जिला, मध्यवर्ती और ग्राम स्तरों पर पंचायतें, प्रधान प्राधिकारी होंगी ।

(2) जिला स्तर पर पंचायतों के निम्नलिखित कृत्य होंगे—

(क) स्कीम के अधीन किसी कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के ब्लाक अनुसार शैल्क की अंतिम रूप देना और उसका अनुमोदन करना ;

(ख) ब्लाक स्तर और जिला स्तर पर कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का पर्यवेक्षण और मानीटर करना ; और

(ग) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो राज्य परिषद् द्वारा समय-समय पर उसे समनुदेशित किए जाएं ।

(3) मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के निम्नलिखित कृत्य होंगे—

(क) अंतिम अनुमोदन के लिए जिला स्तर पर जिला पंचायत को भेजने के लिए ब्लाक योजना का अनुमोदन करना ;

(ख) ग्राम पंचायत स्तर और ब्लाक स्तर पर कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का पर्यवेक्षण और मानीटर करना ; और

(ग) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो राज्य परिषद् द्वारा समय-समय पर उसे समनुदेशित किए जाएं ।

(4) जिला कार्यक्रम समन्वयक, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन उसके कृत्यों का निर्वहन करने में पंचायत की सहायता करेगा ।

14. (1) जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या जिले के कलेक्टर या समुचित पंक्ति के किसी अन्य जिला स्तर के अधिकारी को, जिसका राज्य सरकार विनिश्चय करे, जिले में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में पदमिश्रित किया जाएगा ।

(2) जिला कार्यक्रम समन्वयक, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार जिले में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(3) जिला कार्यक्रम समन्वयक के निम्नलिखित कृत्य होंगे—

(क) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में जिला पंचायत की सहायता करना ;

(ख) ब्लाक द्वारा तैयार की गई योजनाओं और जिला स्तर पर पंचायत द्वारा अनुमोदित की जाने वाली परियोजनाओं के शैल्क में सम्मिलित करने के लिए अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का समेकन करना ;

(ग) आवश्यक मंजूरी और प्रशासनिक अनुमति, जहां कहीं आवश्यक हो, प्रदान करना ।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदकों को इस अधिनियम के अधीन उनकी हकदारी के अनुसार नियोजन उपलब्ध कराए जा रहे हैं अपनी अधिकारिता के भीतर कृत्य कर रहे कार्यक्रम अधिकारियों और कार्यान्वयन अभिकरणों से साथ समन्वय करना ;

(ङ) कार्यक्रम अधिकारियों के कार्यपालन का पुनर्विलोकन, मानीटर और पर्यवेक्षण करना ;

जिला कार्यक्रम
समन्वयक ।

(घ) चल रहे कार्य का नियतकालिक निरीक्षण करना; और

(घ) आवेदकों की शिकायतों को दूर करना ।

(4) राज्य सरकार, ऐसी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रत्यायोजन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों को कार्यान्वित करने हेतु उसे समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित हों ।

(5) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कार्यक्रम अधिकारी और जिले के भीतर कृत्य कर रहे राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों तथा निकायों के सभी अन्य अधिकारी, इस अधिनियम तथा तदधीन बनाई गई स्कीमों के अधीन उसके कृत्यों को कार्यान्वित करने में जिला कार्यक्रम समन्वयक की सहायता करने के लिए उत्तरदायी होंगे ।

(6) जिला कार्यक्रम समन्वयक, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए श्रम बजट प्रत्येक वर्ष के दिसंबर मास में तैयार करेगा जिसमें जिले में अनुश्रुत शारीरिक कार्य के लिए पूर्वानुमानित मांग और स्कीम के अंतर्गत आने वाले कार्यों में श्रमिकों को लगाने की योजना के ब्यौरे होंगे और उसे जिला पंचायत की स्थायी समिति को प्रस्तुत करेगा ।

15. (1) मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत के लिए, राज्य सरकार किसी व्यक्ति को, जो ब्लाक विकास अधिकारी से नीचे की पंक्ति का न हो, ऐसी अर्हताओं और अनुभव के साथ जैसे कि राज्य सरकार द्वारा अध्याश्रित की जाए, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के लिए कार्यक्रम अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी ।

(2) कार्यक्रम अधिकारी, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत को उसके कृत्यों का निर्वाह करने में सहायता करेगा ।

(3) कार्यक्रम अधिकारी अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में परियोजनाओं से उद्भूत नियोजन अवसरों के साथ नियोजन की मांग का मेल करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(4) कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार किए गए परियोजना प्रस्तावों और मध्यवर्ती पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों का समीक्षण करके अपनी अधिकारिता के अधीन ब्लाक के लिए एक योजना तैयार करेगा ।

(5) कार्यक्रम अधिकारी के कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(क) ब्लाक के भीतर ग्राम पंचायतों और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं को मानीटर करना ;

(ख) पात्र गृहस्थियों को बेकारी भत्ता मंजूर करना और उसका संदाय सुनिश्चित करना ;

(ग) ब्लाक के भीतर स्कीम के किसी कार्यक्रम के अधीन नियोजित सभी श्रमिकों को मजदूरी का तुरंत और उचित संदाय सुनिश्चित करना ;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि ग्राम शाना द्वारा ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर सभी कार्यों की नियमित सामाजिक संपरीक्षा की जा रही है और यह कि सामाजिक संपरीक्षा में उठाए गए आक्षेपों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है ;

(ङ) सभी शिकायतों को तत्पश्चात् से निपटाना जो ब्लाक से भीतर स्कीम से कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न हों ; और

कार्यक्रम
अधिकारी ।

(5) कोई अन्य कार्य करना जो जिला कार्यक्रम समन्वयक या राज्य सरकार द्वारा उसे समनुदेशित किया जाए।

(6) कार्यक्रम अधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक के निदेशन, नियंत्रण और अवीक्षण के अधीन कृत्य करेगा।

(7) राज्य सरकार आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि किसी कार्यक्रम अधिकारी के सभी या किन्हीं कृत्यों का ग्राम पंचायत या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्वहन किया जाएगा।

ग्राम पंचायतों के
उत्तरदायित्व।

16. (1) ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और वार्ड सभाओं की सिफारिशों के अनुसार किसी स्कीम के अधीन ग्राम पंचायत क्षेत्र में कार्यान्वयन के लिए ली जाने वाली परियोजना की पहचान और ऐसे कार्य के निष्पादन और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) कोई ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर किसी स्कीम के अधीन किसी परियोजना को जिसे कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मंजूर किया जाए, ले सकेगी।

(3) प्रत्येक ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत और वार्ड सभाओं की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् एक विकास योजना तैयार करेगी और स्कीम के अधीन जब कभी कार्य की मांग उत्पन्न होती है, किए जाने वाले संबंध कार्यों का एक डैल्क रखेगी।

(4) ग्राम पंचायत, परियोजनाओं के विकास के लिए जिसके अंतर्गत उस वर्ष के प्रारंभ से जिसमें इसे निष्पादित किया जाना प्रस्तावित है, की संदीक्षा और प्रारंभिक पूर्वानुमोदन के लिए कार्यक्रम अधिकारी को विभिन्न कार्यों के बीच अग्रता का क्रम सम्मिलित है, अपने प्रस्तावों को अग्रणी करेगी।

(5) कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम पंचायत के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली किसी स्कीम के अधीन उसकी लागत के अनुसार कम से कम पचास प्रतिशत कार्य को आवंटित करेगा।

(6) कार्यक्रम अधिकारी, प्रत्येक ग्राम पंचायत को निम्नलिखित का प्रदाय करेगा,—

(क) उसके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले स्वीकृत कार्य के लिए मस्टर रोड ; और

(ख) ग्राम पंचायत के निवासियों को अन्यत्र उपलब्ध नियोजन के अवसरों की एक सूची।

(7) ग्राम पंचायत आवेदकों की बीच नियोजन के अवसरों का आबंटन करेगी तथा कार्य के लिए उनसे रिपोर्ट करने के लिए कहेगी।

(8) किसी स्कीम के अधीन किसी ग्राम पंचायत द्वारा आरंभ किया गया कार्य अपेक्षित तकनीकी मानकों और मापमानों को पूरा करेगा।

ग्राम सभा द्वारा
कार्य की
सामाजिक
संपरीक्षा।

17. (1) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के भीतर कार्य के निष्पादन को मानीटर करेगी।

(2) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के भीतर आरंभ की गई स्कीम के अधीन सभी परियोजनाओं की नियमित सामाजिक संपरीक्षा करेगी।

(3) ग्राम पंचायत, सभी सुसंगत दस्तावेज, जिनके अन्तर्गत मस्टर रोड, बिल, वाचमर, माप पुस्तिकाएं, मंजूरी आदेशों की प्रतियाँ और अन्य संबंधित लेखा बहियाँ और कागजपत्र भी हैं, सामाजिक संपरीक्षा करने के प्रयोजन के लिए ग्राम सभा को उपलब्ध

कराएगी।

18. राज्य सरकार जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारियों को ऐसे अनिवार्य कर्मचारियों और तकनीकी सहायता, जो स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों, उपलब्ध कराएगी।

19. राज्य सरकार स्कीम के कार्यान्वयन की बाबत किसी व्यक्ति द्वारा की गई किसी शिकायत के निपटारे के लिए नियमों द्वारा स्थापित स्तर और जिला स्तर पर शिकायत दूर करने हेतु समुचित तंत्र अवधारित करेगी और ऐसी शिकायतों के निपटारे के लिए प्रक्रिया अधिकृत करेगी।

अध्याय 5

राष्ट्रीय और राज्य रोजगार गारंटी निधियों की स्थापना और संपरीक्षा

20. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि के नाम से ज्ञात एक निधि स्थापित करेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् अनुदान या उधार के रूप में ऐसी धनराशि, जिसे केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय निधि के लिए आवश्यक समझे, जमा कर सकेगी।

(3) राष्ट्रीय निधि के खाते में जमा रकम का ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों और परिस्तीमाओं के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, उपयोग किया जाएगा।

21. (1) राज्य सरकार स्कीम के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा, राज्य रोजगार गारंटी निधि के नाम से ज्ञात एक निधि स्थापित करेगी।

(2) राज्य निधि के खाते में जमा रकम, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों और परिस्तीमाओं के अधीन रहते हुए, जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई स्कीमों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं और इस अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए व्यय की जाएगी।

(3) राज्य निधि, राज्य सरकार की ओर से ऐसी रीति में और ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, धारित और प्रशासित की जाएगी।

22. (1) ऐसे नियमों के, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, अर्थात् रहते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित की लागत को पूरा करेगी, अर्थात् :—

(क) स्कीम के अधीन अकुशल शारीरिक कार्य के लिए मजदूरी का संदाय के लिए अपेक्षित रकम ;

(ख) स्कीम की सामग्री लागत के तीन चौथाई तक रकम, जिसके अंतर्गत अनुसूची 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कुशल और अर्धकुशल कर्मचारों को मजदूरी का संदाय भी है ;

(ग) स्कीम की कुल लागत का ऐसा प्रतिशत, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासनिक खर्चों के प्रति अवधारित किया जाए, जिसके अंतर्गत कार्यक्रम अधिकारियों और उनको सहायक कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, केन्द्रीय परिवर्द्ध के प्रशासनिक खर्च, अनुसूची 2 के अधीन दी जाने वाली सुविधाएं और ऐसी अन्य मद भी हैं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित की जाएं।

स्कीमों में
कार्यान्वयन
राज्य सरकारों के
समन्वयित।

शिकायत दूर करने
हेतु तंत्र।

राष्ट्रीय रोजगार
गारंटी निधि।

राज्य रोजगार
गारंटी निधि।

विशेषीकरण करने।

(2) राज्य सरकार निम्नलिखित की लागत को पूरा करेगी, अर्थात् :-

(क) स्कीम के अंतर्गत संदेय बेकारी भत्ते की लागत,

(ख) स्कीम की सामग्री लागत का एक चौथाई, जिसके अंतर्गत अनुसूची 2 के अधीन रहते हुए कुशल और अर्धकुशल कर्मचारों की मजदूरी का संदाय भी है ;

(ग) राज्य परिषद् के प्रशासनिक खर्च ।

सावधानता और
उत्तरदायित्व ।

23. (1) जिला कार्यक्रम समन्वयक और जिले के सभी कार्यान्वयन अधिकरण, किसी स्कीम के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए उनके ध्यान पर रखी गई निधि को उचित उपयोग और प्रबंध के लिए उत्तरदायी होंगे ।

(2) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाई गई स्कीमों के कार्यान्वयन के संबंध में श्रमिकों के नियोजन और उपगत व्यय की समुचित बहियाँ और लेखा रखने की रीति विहित कर सकती है ।

(3) राज्य सरकार, नियमों द्वारा, स्कीमों और स्कीमों के अधीन कार्यक्रमों के उचित विधायन के लिए और स्कीमों के कार्यान्वयन में सभी स्तरों पर पारदर्शिता और दायित्व सुनिश्चित करने के लिए, की जाने वाली व्यवस्थाओं को अवधारित कर सकती है ।

(4) नकद रूप में मजदूरी और बेकारी भत्ते के सभी संदाय, सीधे संबंध व्यक्ति को और पूर्व घोषित तरीकों पर समुदाय के स्वतंत्र व्यक्तियों की उपस्थिति में किए जाएंगे ।

(5) यदि ग्राम पंचायत द्वारा किसी स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित कोई शिकायत या शिकायत उत्पन्न होती है तो वह मामला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया जाएगा ।

(6) कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक शिकायत की उसके द्वारा रखे शिकायत रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा और दिवादी तथा शिकायती को उसकी प्राप्ति से सात दिन के भीतर निपटाएगा और यदि वे ऐसे मामले से संबंधित है जिसे किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा सुलझाया जाना है तो वह उसे शिकायतकर्ता को सूचना देते हुए, ऐसे प्राधिकारी को अवैधित करेगा ।

लेखाओं की
संपरीक्षा ।

24. (1) केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से, स्कीमों के लेखाओं की सभी स्तरों पर संपरीक्षा के लिए समुचित व्यवस्थाएँ विहित कर सकती है ।

(2) स्कीम के लेखा ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए रखे जाएंगे ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

अनुदानों के
लिए शक्ति ।

25. जो कोई इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह दोषसिद्धि पर जुर्माने या, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा ।

प्रयोक्तव्य करने
की शक्ति ।

26. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकती है कि उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियाँ (नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर) ऐसी परिस्थितियों में तथा ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी द्वारा भी, जिसे वह ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, प्रयोक्तव्य होंगी ।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकती है कि उसके द्वारा प्रयोक्तव्य

शक्तियाँ (नियम और स्कीम बनाने की शक्ति को छोड़कर) ऐसी परिस्थितियों में तथा ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे अधिकारी द्वारा भी जिसे यह ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कर, प्रयोज्य होगी।

27. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को ऐसे निर्देश दे सकती जो वह आवश्यक समझे।

केन्द्रीय सरकार को निर्देश देने की शक्ति।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार किसी स्कीम के संबंध में, इस अधिनियम के अधीन अनुवृत्त विधियों को जारी करने या अनुवृत्त उपयोग के संबंध में किसी शिकायत की प्राप्ति पर, यदि प्रथमदृष्टया यह समाधान हो जाता है कि कोई मामला बनता है तो उसके द्वारा परामर्शित किसी अधिकरण द्वारा की गई शिकायत का अन्वेषण कर सकती, और यदि आवश्यक हो तो स्कीम की विधियों के निर्माण को रोकने का आदेश कर सकती और उचित कालावधि के भीतर इसके उचित कार्यान्वयन के लिए समुचित उपयुक्त उपाय कर सकती।

28. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाई गई स्कीमों के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या ऐसी विधि को फलस्वरूप प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे :

अधिनियम का अन्तर्विष्ट प्रभाव होगा।

परन्तु जहाँ कोई ऐसी राज्य अधिनियमिति विद्यमान है या इस अधिनियम के उपबंधों से संगत ग्रामीण गृहस्त्री में अर्धकुशल शारीरिक कार्य के लिए नियोजन गारंटी का उपबंध करने के लिए अधिनियमित की जाती है, जिसके अधीन गृहस्त्री की हकदारी उससे कम नहीं है और नियोजन की शर्त उससे न्यूनतर नहीं है, जिनकी इस अधिनियम के अधीन गारंटी दी गई है, वहाँ राज्य सरकार को अपनी निजी अधिनियमिति को कार्यान्वित करने का विकल्प होगा।

परन्तु यह और कि ऐसे मामलों में वितीय सहायता, संबद्ध राज्य सरकार को ऐसी शीति से संवत् की जाएगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी, जो उससे अधिक न होगी, जिसे वह राज्य इस अधिनियम के अधीन प्राप्त करने का तब हकदार होता जब इस अधिनियम के अधीन बनाई गई कोई स्कीम कार्यान्वित की जानी होती।

29. (1) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची 1 या अनुसूची 2 का संशोधन कर सकती और तदुपरि, गदास्थिति, अनुसूची 1 या अनुसूची 2 तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएगी।

अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाई गई प्रत्येक अधिसूचना की प्रति उसके बनाए जाने के पश्चात् पञ्चाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

30. जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थात्सर्गंत लोक सेवक है या समझा जाता है, किसी ऐसी बात के लिए जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या स्कीमों के अधीन सद्मावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है, कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

सम्मानपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

31. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती।

केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकती, अर्थात् :-

(क) धारा 10 की उपधारा (3) के खण्ड (ड) के अधीन राज्य सरकारों के

प्रतिनिधियों की संख्या ;

(ख) धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन वे निर्बंधन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए केंद्रीय परिषद् का अध्यक्ष और कोई सदस्य नियुक्त किया जा सकेगा और केंद्रीय परिषद् के अधिवेशनों (जिसके अंतर्गत ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है) का समय, स्थान और उनकी प्रक्रिया ;

(ग) वह रीति जिसमें तथा वे शर्तें और परिसीमाएँ जिनके अधीन रहते हुए धारा 20 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय निधि का उपयोग किया जाएगा ;

(घ) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन कतिपय मदों की लागत को पूरा करने के लिए वित्त प्रोक्षण बेटन से संबंधित नियम ;

(ङ) कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना है या जो विहित किया जाए या जिसकी बाबत, केंद्रीय सरकार द्वारा, नियमों द्वारा, उपबंध किया जाना है।

32. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए और इस अधिनियम तथा केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से संगत नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :-

(क) वे निर्बंधन और शर्तें जिन पर धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन बेकारी भत्ते के लिए पात्रता अवधारित की जा सकेगी ;

(ख) धारा 7 की उपधारा (6) के अधीन बेकारी भत्ते के संदाय के लिए प्रक्रिया ;

(ग) धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन वे निर्बंधन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए राज्य परिषद् का अध्यक्ष और कोई सदस्य नियुक्त किया जा सकेगा और राज्य परिषद् के अधिवेशनों (जिसके अंतर्गत ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है) का समय, स्थान और उनकी प्रक्रिया ;

(घ) ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर शिकायत प्रतिकूल तंत्र और धारा 19 के अधीन ऐसे मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ङ) वह रीति जिसमें तथा वे शर्तें और परिसीमाएँ जिनके अधीन रहते हुए धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय निधि का उपयोग किया जाएगा ;

(च) वह प्राधिकारी जो धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन राज्य निधि को प्रशासित कर सकेगा और वह रीति जिसमें वह राज्य निधि को धारित करेगा ;

(छ) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन श्रमिकों के नियोजन के बही खाते और व्यय रखे जाने की रीति ;

(ज) धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन स्कीमों के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित प्रबंध ;

(झ) वह प्रणाली और रीति जिसमें स्कीम के लेखाओं को धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन रखा जाएगा ;

(ञ) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना है या जो विहित किया

राज्य सरकार को
नियम बनाने की
शक्ति।

जाए या जिसकी बाबत राज्य सरकार द्वारा, नियमों द्वारा, उपबंध किया जाना है।

33. (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेंगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वागत अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अयत्न के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि यह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम, यथास्थिति, तत्पश्चात् केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसको अधीन की गई किसी बात की विधिमाम्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नियमों और
राजीवों का
रखा जाना।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम या बनाई गई प्रत्येक स्कीम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मंडल की जहाँ दो सदन हैं, प्रत्येक सदन के समक्ष और जहाँ राज्य विधान-मंडल का एक ही सदन है, वहाँ उस सदन के समक्ष रखा जाएगा/रखी जाएगी।

34. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, बना सकेंगी जो कठिनाई को दूर करने लिए आवश्यक और राजीवनी प्रतीत होते हैं।

कठिनाई को दूर
करने की कठिनाई।

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

अनुसूची 1

[धारा 4(3) देखिए]

ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की न्यूनतम विशेषताएं

1. स्कीम का केंद्र बिन्दु निम्नलिखित संकर्मों पर उनकी पूर्विक्ता के क्रम में होगा :

- (i) जल संरक्षण और जल शस्य संचय ;
- (ii) सूखाशेधी (जिसके अंतर्गत वनरोपण और वृक्षारोपण हैं) ;
- (iii) सिंचाई नहरें जिनके अंतर्गत सूक्ष्म और लघु सिंचाई संकर्म भी हैं ;
- (iv) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गृहस्थियों को स्वामित्वाधीन भूमि के लिए या भूमि सुधार के हितधिकारियों की भूमि के लिए या भारत सरकार की इन्दिरा आवास योजना के अधीन हितधिकारियों की भूमि के लिए सिंचाई प्रसुधिका का उपबन्ध ;
- (v) पारंपरिक जल निकासों का नदीकरण जिसके अंतर्गत ताताबों का शुद्धिकरण भी है ;
- (vi) भूमि विकास ;
- (vii) बाढ़ नियंत्रण संरक्षण संकर्म, जिनके अंतर्गत जलरुद्ध क्षेत्रों में जल विकास भी है ;
- (viii) सभी मौसमों में पटुव का उपबन्ध करने के लिए ग्रामीण संयोजकता ; और
- (ix) कोई अन्य कार्य, जिसे राज्य सरकार के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

2. टिकाऊ आस्तियों का सृजन और ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के आजीविका संसाधनों के लिए आधार को सुदृढ़ करना स्कीम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा ।

3. स्कीम के अधीन आरंभ किए गए संकर्म ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे ।

4. राज्य परिषद् विभिन्न क्षेत्रों के लिए उनकी टिकाऊ आस्तियां सृजित करने की योग्यता के आधार पर अदिनामी संकर्मों की एक सूची तैयार करेगी ।

5. स्कीम उन समुचित व्यवस्थाओं के अधीन चले हुए होगी जो स्कीम के अधीन सृजित सार्वजनिक आस्तियों के समुचित रखरखाव के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा अधिकृत की जाए ।

6. किसी भी परिस्थिति के अधीन श्रमिकों को मजदूरी दर से कम का संदाय नहीं किया जाएगा ।

7. जब मजदूरी का कार्य की मात्रा से सीधा संबंध हो तब मजदूरी, राज्य परिषद् के पक्षमर्ह से प्रतिवर्ष, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियत दर अनुसूची के अनुसार संदत्त की जाएगी ।

8. अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी की दर अनुसूची इस प्रकार नियत की जाएगी कि सात घण्टे तक कार्य करने वाला व्यक्ति आम तौर पर मजदूरी दर के बराबर मजदूरी अर्जित करेगा ।

9. कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ की गई परियोजनाओं की सामग्री संघटक की लागत, जिसके अंतर्गत कुशल और अर्धकुशल कर्मचारों की मजदूरी भी है, कुल परियोजना लागत के बालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

10. कार्यक्रम अधिकारी और ग्राम पंचायत किसी ऐसे व्यक्ति को, जो स्कीम के अधीन नियोजन के लिए आवेदन करता है, यह निर्देश देने के लिए स्वतंत्र होगा कि वह ऐसी स्कीम के अधीन अनुज्ञेय किसी प्रकार का कार्य करे।

11. स्कीम में उसके अधीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किसी ठेकेदार को लगाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

12. यथाव्यवहार्य, स्कीम के अधीन वित्त पोषित कार्य शारीरिक श्रम का उपयोग करके पूरा किया जाएगा, मशीन का नहीं।

13. प्रत्येक स्कीम में, कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपबंध अंतर्भूत होंगे।

14. किसी स्कीम के अधीन किए जा रहे संकल्प का, कार्य की उचित क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए और साथ ही सुनिश्चित करने के लिए कि कार्य के पूरा किए जाने के लिए सदैव मजदूरी, किए गए कार्य क्वालिटी और मात्रा के अनुरूप है, नियमित निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने के लिए उपबंध किए जाएंगे।

15. स्कीम को कार्यान्वित करने वाले जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी और ग्राम पंचायत, अपनी अधिकारिता के भीतर स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित तथ्यों और आकड़ों तथा उपलब्धियों सहित वार्षिक रूप से एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसकी एक प्रति, जनता को मांग पर और ऐसी फीस के संदाय पर जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए उपलब्ध कराई जाएगी।

16. स्कीम से संबंधित सभी लेखे और अभिलेख जनता की छानबीन के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे और उसकी एक प्रति या सुसंगत उद्धरण अभिप्राप्त करने की यात्रा रखने वाले व्यक्ति को, मांग पर और ऐसी फीस का संदाय करने के पश्चात्, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी प्रतियां या उद्धरण दिए जा सकेंगे।

17. प्रत्येक स्कीम या किसी स्कीम के अधीन परियोजना के मरुतर सेल की एक प्रति, ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में, हितवद्ध व्यक्ति द्वारा, ऐसी फीस का संदाय करने के पश्चात्, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

अनुसूची 2

[धारा 5 देखिए]

किसी स्कीम के अधीन गारंटीकृत ग्रामीण रोजगार के लिए शर्तें और श्रमिकों की न्यूनतम हकदारियां

1. प्रत्येक गृहस्थी के दायरक सदस्य, जो—

(i) किसी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, और

(ii) अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं,

उस ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत (जिसे इस अनुसूची में इसके पश्चात् ग्राम पंचायत कहा गया है) को, जिसकी अधिकारिता में वे निवास करते हैं, अपने नाम, आयु और गृहस्थी के पते, कार्य काई जारी करने के लिए अपनी गृहस्थी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

2. ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह

ठीक समझे, गृहस्थी को रजिस्टर करे और गृहस्थी के व्यस्क सदस्यों के ऐसे व्यौर, जो रसीम में राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, अंतर्निष्ठ करते हुए और उनको फोटोग्राफ चिपकाकर, एक कार्य कार्ड जारी करें।

3. पैरा 2 के अधीन रजिस्ट्रीकरण ऐसी अवधि के लिए जो रसीम में अधिकशक्ति की जाए किन्तु किसी भी मामले में पांच वर्ष से कम नहीं होगी, किया जाएगा, और इसे समय-समय पर नवीकृत किया जा सकेगा।

4. रजिस्ट्रीकृत गृहस्थी का ऐसा प्रत्येक व्यस्क सदस्य, जिसका नाम कार्य कार्ड में है, रसीम के अधीन अकुशल शारीरिक कार्य के लिए आवेदन करने का हकदार होगा।

5. किसी गृहस्थी के सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बनाई गई रसीम के अनुसार, उतने दिनों के लिए, जितने दिनों के लिए प्रत्येक आवेदक अनुरोध करे, किसी वित्तीय वर्ष में प्रति गृहस्थी अधिकतम एक सौ दिनों के अधीन रहते हुए, नियोजन के हकदार होंगे।

6. कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि पैरा 5 में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदक को, रसीम के उपबंधों के अनुसार, आवेदन की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर या उस तारीख से, जिससे वह अधिम आवेदन की दशा में कार्य चाहता है, इनमें से जो भी परमातृवर्ती हो, अकुशल शारीरिक कार्य दिया जाएगा :

परन्तु यह कि महिलाओं को इस तथ्य पूर्विकता दी जाएगी कि कम से कम एक तिहाई कायदा प्राप्त करने वालों में ऐसी महिलाएं होंगी, जो इस अधिनियम के अधीन कार्य के लिए रजिस्ट्रीकृत हैं और जिन्होंने अनुरोध किया है।

7. कार्य के लिए आवेदन कम से कम चौदह दिनों के निरन्तर कार्य के लिए होना चाहिए।

8. गृहस्थी की संपूर्ण हकदारी के अधीन रहते हुए, नियोजन के उन दिनों की संख्या जिनके लिए कोई व्यक्ति आवेदन कर सकेगा, या उसको वस्तुतः दिए गए नियोजन के दिनों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी।

9. कार्य के लिए आवेदन, लिखित रूप में, ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी को, जैसा रसीम में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत किए जाएंगे।

10. सहाय्यिता, ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी वेब आवेदन स्वीकार करने और आवेदक को तारीख सहित रसीद जारी करने के लिए आबद्ध होंगे। समूह आवेदन भी प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

11. ऐसे आवेदकों को, जिन्हें कार्य दिया जाता है, कार्य कार्ड में दिए गए उनसे पते पर उनको पत्र भेज कर और जिला, मध्यवर्ती या ग्राम स्तर पर पंचायतों में सार्वजनिक सूचना प्रदर्शित कर इस प्रकार लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

12. जहाँ तक संभव हो, आवेदक को उस ग्राम से जहाँ वह आवेदन करते समय निवास करता है, पांच किलोमीटर की त्रिज्या के भीतर नियोजन प्रदान किया जाएगा।

13. रसीम के अधीन कोई नया कार्य केवल तभी प्रारंभ किया जाएगा जब—

(क) ऐसे कार्य के लिए कम-से-कम पचास श्रमिक उपलब्ध हों; और

(ख) श्रमिकों को अविरत संकर्मों में नियोजित न किया जा सकता हो;

परन्तु यह शर्त उन नए संकर्मों के लिए लागू नहीं होगी जो राज्य सरकार द्वारा पहली क्षेत्रों में और वनरोपण के संबंध में अवधारित किए गए हों।

14. यदि नियोजन ऐसी त्रिज्या के बाहर प्रदान किया जाता है तो यह ब्लॉक के भीतर ही प्रदान किया जाना चाहिए और श्रमिकों को अतिरिक्त परिवहन और जीवनयापन खर्चों को दूर करने के लिए अतिरिक्त मजदूरी के रूप में, मजदूरी दर के इस प्रतिशत का संदाय किया जाएगा।

15. नियोजन की अवधि साधारणतः लगातार कम से कम चौदह दिन की और एक सप्ताह में छह दिन से अधिक की होगी।

16. उन सभी मामलों में जहाँ बेकारी भरा संदत किया जाता है या संदत किया जाना शोध्य है वहाँ कार्यक्रम अधिकारी, लिखित रूप में जिला कार्यक्रम समन्वयक को वे कारण सूचित करेंगे कि उसके लिए आवेदकों को नियोजन प्रदान करना या नियोजन प्रदान कराना क्यों संभव नहीं था।

17. जिला कार्यक्रम समन्वयक, राज्य परिषद् को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह स्पष्टीकरण देगा कि उन मामलों में जहाँ बेकारी भरे का संदाय अन्तर्वर्तित है, नियोजन क्यों नहीं प्रदान किया जा सका था।

18. स्कीम में अंतिम आवेदन के लिए, अर्थात् ऐसे आवेदनों के लिए जो उस तारीख से जिससे नियोजन माह्न गया है, पहले प्रस्तुत किए जा सकेंगे, उपबंध किया जाएगा।

19. स्कीम में एक ही व्यक्ति द्वारा अनेक आवेदन प्रस्तुत करने के बारे में उपबंध किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि तत्संबंधी अवधि, जिनके लिए नियोजन माह्न गया है, अतिव्याप्त नहीं होती।

20. ग्राम पंचायत ऐसे रजिस्टर, बाउचर और अन्य वस्तुएँ ऐसे प्रारूप में और ऐसी शैली से, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, तैयार करेगी और रहेगी या तैयार करवाएगी और रखवाएगी, जिसमें ग्राम पंचायत में रजिस्ट्रीकृत कार्य काटों और जारी की गई पासबुकों की विशिष्टियाँ और गृहस्थों के मुखिया तथा व्यवस्था सदस्यों के नाम, आयु और पते अंतर्निहित होंगे।

21. ग्राम पंचायत, उसके पास रजिस्ट्रीकृत गृहस्थों और उनके व्यवस्था सदस्यों के नाम और पते की सूचियाँ, ऐसी सूची तथा ऐसी अन्य जानकारी संबंध कार्यक्रम अधिकारी को, ऐसी अवधि पर ऐसे प्रारूप में, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए, भेजेगी।

22. उन व्यक्तियों की सूची, जिन्हें कार्य दिया जाता है, ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर और कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में तथा ऐसे अन्य स्थानों पर जिन्हें कार्यक्रम अधिकारी आवश्यक समझे, प्रदर्शित की जाएगी और सूची राज्य सरकार या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेगी।

23. यदि ग्राम पंचायत का किसी समय समन्धान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करते उसके पास रजिस्टर कराया है तो वह कार्यक्रम अधिकारी को रजिस्टर से उसका नाम काटने का निदेश दे सकेगी और आवेदक को कार्य काट लेवाने का निदेश दे सकेगी।

परन्तु इस पैरा के अधीन ऐसी कार्यवाही तब तक निरदिष्ट नहीं की जाएगी, जब तक कि आवेदक को दो स्वतंत्र व्यक्तियों की उपस्थिति में सुने जाने का अवसर नहीं दे दिया गया हो।

24. यदि स्कीम के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति को, उसके नियोजन के कारण और उसके क्रम में किसी दुर्घटना से कोई शारीरिक क्षति काशित होती है तो वह निःशुल्क ऐसे चिकित्सीय उपचार का, जो स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है, हकदार होगा।

25. जहाँ क्षतिग्रस्त कर्मकार का अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो, वहाँ राज्य सरकार उसके अस्पताल में भर्ती होने के लिए, जिसके अन्तर्गत आवास, उपचार ओषधियाँ भी हैं, तथा दैनिक भत्ते के संदाय के लिए जो संदत किए जाने के लिए अपेक्षित उस गजदूरी दर के आवे से कम नहीं होगा, जो क्षतिग्रस्त व्यक्ति के कार्य में लगे होने पर होती, व्यवस्था करेगी।

26. यदि स्कीम के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति की, नियोजन से उद्भूत दुर्घटना या उसकी क्रम में मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से निःशक्ति हो जाता है तो कार्योन्मथन अभिकरण द्वारा उसे पच्चीस हजार रुपये की दर पर या ऐसी रकम का जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियमित की जाए, अनुग्रहपूर्वक संदाय किया जाएगा और यह रकम, यथास्थिति, मृत या निःशक्ति व्यक्ति के विधिक वारिसों को संतुष्ट की जाएगी।

27. कार्यस्थल पर स्वच्छ पेयजल, बालकों के लिए तथा विभाग की अवधि के लिए शैक्ष, तृप्तु क्षति में आपात उपचार के लिए पर्याप्त सामग्री सहित प्राथमिक सहायता पेटी तथा किए जा रहे कार्य से संबद्ध अन्य स्वास्थ्य परिसंकेत के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

28. यदि किसी कार्यस्थल पर कार्यरत महिलाओं के साथ छह वर्ष से कम आयु के बालकों की संख्या पांच या उससे अधिक है तो ऐसी महिलाओं में से किसी एक महिला को ऐसे बालकों की देखभाल करने के लिए तैनात करने की व्यवस्था की जाएगी।

29. पैरा 28 के अधीन नियुक्त व्यक्ति को मजदूरी दर पर संदाय किया जाएगा।

30. यदि स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर मजदूरी का संदाय नहीं किया जाता है तो श्रमिक, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) के उपबंधों के अनुसार प्रतिकार का संदाय प्राप्त करने के हकदार होंगे।

31. स्कीम के अधीन मजदूरी का या तो पूर्णतः नकद रूप में या नकद और वस्तु के रूप में संदाय किया जा सकेगा, परन्तु कम से कम एक-चौथाई मजदूरी का संदाय नकद ही किया जाएगा।

32. राज्य सरकार विहित कर सकेगी कि श्रमिकों को नियोजन की अवधि के दौरान, दैनिक आधार पर श्रमिकों के मजदूरी के एक भाग का संदाय नकद रूप में किया जाए।

33. यदि किसी ऐसे व्यक्ति को, जो स्कीम के अधीन नियोजित है, साथ में आने वाले बालक को दुर्घटनाग्रस्त कोई कारीरिक क्षति काशित होती है तो ऐसा व्यक्ति बालक के लिए निःशुल्क ऐसा विधित्तीय उपचार, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए और उसकी मृत्यु या निःशक्तिता की दशा में, अनुग्रहपूर्वक संदाय, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, प्राप्त करने का हकदार होगा।

34. स्कीम के अधीन प्रत्येक नियोजन की दशा में, मात्र त्रिग के आधार पर कोई विमेद नहीं होगा और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) के उपबंधों का पालन किया जाएगा।

टी.के. विश्वनाथन,
सचिव, भारत सरकार।



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78]
No. 78]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 25, 2006/माघ 5, 1927
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 25, 2006/MAGHA 5, 1927

ग्रामीण विकास मंत्रालय अधिसूचना		(1)	(2)
नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2006		असम	बोंगईगाँव झोमाजी गोलपाड़ा कारबी आंगलांग कोकराझार उ. काज़र हिल्स उत्तरी लखीमपुर (लाक्षा) अरिषा औरंगाबाद श्रीजपुर दरभंगा गया जमुई जहानाबाद कैमूर (मुजफ्फर) कटिहार किशनगंज लखीसराय मधुबनी मुंगेर मुजफ्फरपुर नालंदा नवादा पटना पुर्निया रोहतास समस्तीपुर शिवहर सुपौल वैशाली
का.आ. 87(अ).—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इसके द्वारा फरवरी, 2006 के दूसरे दिन को ऐसी तारीख नियत करती है जिससे उक्त अधिनियम नीचे दी गई सूची में विनिर्दिष्टानुसार राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों में प्रवृत्त होगा :		बिहार	
सूची			
राज्य	राज्यों के क्षेत्र (जिले)		
(1)	(2)		
अंध्र प्रदेश	आदिलाबाद आनंदपुर बिन्नूर कुडप्पा करीम नगर खम्माम महबूबनगर मेडक नालगोंडा निजामाबाद रंगरेड्डी विजयनगरम यारगल		
अरुणाचल प्रदेश	अपर सुबनसिरी		

(1)	(2)	(1)	(2)
छत्तीसगढ़	बस्तर	कर्नाटक	बोदर
	बिलासपुर		चित्रदुर्ग
	दोंरगाड़ा		दावनागरी
	धमतरी		गुलाबगं
	जशपुर	केरल	रायचूर
	कांकिर		पलक्काड
	कवर्धा	गुजरात	खापनाड
	कोरिया		बालासाह
	रायगढ़		बड़वानी
	राजनांदगांव		बैरुल
	सरगुजा		छतरपुर
गुजरात	बनासकांठा		धार
	डोंग		दिंडोरी
	दोहाद		शुद्धग
	नर्मदा		खंडवा (पूर्व विभाग)
	पंच महल		मंडला
	साबरकांठा		सांग
हरियाणा	महेन्द्रगढ़		सिन्धी
	मिराठा		राहडोल
हिमाचल प्रदेश	चम्पा		शिवपुर
	मिराठी		शिवपुरी
झारखण्ड	बोकारो	मणिपुर	सीधी
	बतारा	मिजोरम	टीकमगढ़
	धनबाद		उमरिया
	दुमका		पं. विभाग (खरगोल)
	गढ़वा	नागालैंड	तामेनलीग
	गिरिडीह	उड़ीसा	लबंगलताई
	गोड्डा		सीहा
	हुमना		मोन
	हाजरीबाग		बोलांगीर
	जमशेदपुर		बीध
	कोडरमा		देवगढ़
	लतेहार		डेंकनाल
	लखारदगा		राजपति
	पलकुर		राजम
	पलामू		झारखण्ड
	रांची		कालाहांडी
	साईबर्ग		कपौर
	सरपकेला		कोरापुर
	सिमडेगा		मलकांगली
	पं. सिंह भूम		मधुप
			नबरंगपुर
			नीवाड़ा
			फुलबनी
			रायगढ़
			संजयपुर
			सोनपुर
			सुन्दरगढ़

(1)	(2)
पंजाब	होशियारपुर
राजस्थान	बांसवाड़ा
	झुजपुर
	झालावाड़
	करीली
	सिलोडी
	उदयपुर
मिज़ोरम	उ. मिज़ोरम
त्रिपुरा	धलाई
तमिलनाडु	टिडीगुल
	वाणपरिट्टनम
	शिवगंगा
	द. आरकोट-कुड्डलूर
	तिरुवनन्तमलाई
	विलनपुरम
उत्तरांचल	बमौली
	बम्पावा
	रिहरी गढ़वाल
उत्तर प्रदेश	आजमगढ़
	बांदा
	बाटाबंकी
	बन्दीली
	बिजनपुर
	फतेहपुर
	गोरखपुर
	हमीरपुर
	हरदोई
	जालौन
	जीनपुर
	कौशाम्बी
	कुशीनगर
	लखीमपुर खीरी
	ललितपुर
	महोबा
	मिर्जापुर
	प्रतापगढ़
	रायबरेली
	सीतापुर
	सोनभद्र
	उन्नाव

(1)	(2)
पं. बंगाल	द. 24 परगना
	बांकुरा
	बीरभूम
	जलपाईगुड़ी
	मालदा
	भुविदाबाद
	पुर्बलिया
	द. दिनाजपुर
	प. दिनाजपुर
	उ. दिनाजपुर

[फा. सं. 28012/10/2005-एनआरईडीए]

अमित शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2006

S.O. 87(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government hereby appoints the 2nd day of February, 2006, as the date on which the said Act shall come into force in the different areas in the States as specified in the Schedule given below :—

SCHEDULE

State	Areas in the States (Districts)
(1)	(2)
Andhra Pradesh	Adilabad
	Anantpur
	Chittoor
	Cudappah
	Karimnagar
	Khammam
	Mahbubnagar
	Medak
	Nalgonda
	Nizamabad
	Rangareddy
	Vizianagaram
	Warangal
Arunachal Pradesh	Upper Subansiri
Assam	Bongaigaon
	Dhemaji
	Goalpara
	Karbi Anglong
	Kokrajhar
	North Cachar Hills
	North Lakhimpur (Laksha)

(1)	(2)	(1)	(2)
Bihar	Araria	Jharkhand	Bokaro
	Aurangabad		Chatra
	Bhojpur		Dhanbad
	Darbhanga		Dumka
	Gaya		Gariwa
	Jamui		Giridih
	Jehanabad		Godda
	Kaimur (Bhabua)		Gumla
	Katihar		Hazaribagh
	Kishanganj		Jamtara
	Lakhisarai		Kodarma
	Madhubani		Latehar
	Munger		Lohardagga
	Muzaffarpur		Pakaur
	Nalanda		Palamu
	Nawadah		Ranchi
	Patna		Sahibganj
	Purnia		Saraikela
	Rohtas		Simdega
	Santastipur		Pachhim Singhbhum
	Sheohar	Karnataka	Bidar
	Supaul		Chitradurga
	Vaishali		Davanagere
			Gulbarga
Chhattisgarh	Bastar	Kerala	Raichur
	Bilaspur		Palakkad
	Dantewada		Waynad
	Dhamtari	Madhya Pradesh	Belaghat
	Jashpur		Barwani
	Kanker		Betul
	Kawardha		Chattarpur
	Koriya		Dhar
	Raigarh		Dindori
	Rajnandgaon		Jhabua
	Sarguja		Khandwa (East Nimar)
			Mandla
Gujarat	Baraskantha		Satna
	Dangs		Seoni
	Dohad		Shahdol
	Narmada		Sheopur
	Panch Mahals		Shivpuri
	Sabarkantha		Siddhi
	Mohindergarh		Tikamgarh
Haryana	Sirsa		Umaria
Himachal Pradesh	Chamba		West Nimar (Khargone)
	Sirmaur		

(1)	(2)	(1)	(2)
Manipur	Tamenglong	Uttaranchal	Chamoli
Mizoram	Lawngtlai		Champawat
	Saiha		Tehri Garhwal
Nagaland	Mon	Uttar Pradesh	Azamgarh
Orissa	Bolangir		Banda
	Boudh		Barabanki
	Debagarh		Chandauli
	Dhenkanal		Chitrakoot
	Gajapati		Fatehpur
	Ganjam		Gorakhpur
	Jharsuguda		Hamirpur
	Kalahandi		Hardoi
	Keonjhar		Jalaun
	Koraput		Jaunpur
	Malkangiri		Kaushambi
	Mayurbhanj		Kushinagar
	Nabarangpur		Lakhimpur Kheri
	Naupada		Lalitpur
	Phulbani		Mahoba
	Rayagada		Mirzapur
	Sambalpur		Pratapgarh
	Sonepur		Raebareli
	Sundargarh		Sitapur
Punjab	Hoshiarpur		Sonebhadra
Rajasthan	Banswara		Unnao
	Dungarpur	West Bengal	South 24 Parganas
	Jhalawar		Bankura
	Kanuli		Birbhum
	Sirohi		Jalpaiguri
	Udaipur		Malda
Sikkim	North Sikkim		Murshidabad
Tripura	Dhalai		Purba
Tamil Nadu	Dindigul		Dakshin Dinajpur
	Nagapattinam		Midnapur West
	Sivagangai		Uttar Dinajpur
	South Arcot/Cuddalore		
	Tiruvannamalai		
	Villuputtam		

[F. No. 28012/10/2005-NREGA]

AMITA SHARMA, Jt. Secy.

223 537206-2



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 228]

नई दिल्ली, बंगलवार, मार्च 14, 2006/फाल्गुन 23, 1927

No. 228]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 14, 2006/PHALGUNA 23, 1927

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2006

का.आ. 316(अ).—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इसके द्वारा 01 अप्रैल, 2006 के पहले दिन को ऐसी तारीख नियत करती है जिससे उक्त अधिनियम नीचे दी गई अनुसूची में निर्दिष्टानुसार राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में प्रवृत्त होगा :

अनुसूची

राज्य	राज्य के क्षेत्र (जिले)
1	2
मेघालय	द. गारो हिल्स प. गारो हिल्स

[सं. सं. 28012/10/2005-एनआईसीए]

अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department of Rural Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2006

S.O. 316(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government hereby appoints the 1st day of April, 2006, as the date on which the said Act shall come into force in the different areas in the State as specified in the Schedule given below :—

SCHEDULE

State	Areas in the States (Districts)
1	2
Meghalaya	South Garo Hills West Garo Hills

[F.No. 28012/10/2005-NREGA]

AMITA SHARMA, Jt. Secy.

12. **केन्द्रीय परिषद् की निधियां** - (1) केन्द्रीय परिषद् अपने कार्यों और अधिनियम या इन नियमों के अधीन उसे सौंपे गए कार्यों पर होने वाले खर्च की पूर्ति ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि में से उसे जारी किए गए वार्षिक अनुदान से करेगी।

(2) केन्द्रीय परिषद् की निधियां केन्द्रीय परिषद् द्वारा यथाअनुमोदित किसी अनुसूचित बैंक के माध्यम से प्रचालित की जाएंगी।

(फा. सं. 24011/3/2005-एमजीओएच(एम))

अमिताभ शर्मा, सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department of Rural Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2006

G.S.R. 175(E).—The following draft of certain rules to be called the National Rural Employment Guarantee (Central Council) Rules, 2006, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) read with clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 31 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), is hereby published, as required under the said sub-section (1), for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Rural Development, Government of India, Krishi Bhavan, New Delhi-110001.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Rural Employment Guarantee (Central Council) Rules, 2006.

(2) They shall come into force(to be specified at the time of final publication).

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005);

(b) "Central Council" means the Central Employment Guarantee Council constituted under sub-section (1) of section 10;

(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Central Council;

(d) "District Panchayat" means an institution (by whatever name called) of self-government constituted under article 243B of the Constitution, for the rural areas at the district level in accordance with the provisions of Part IX of the Constitution;

(e) "Executive Committee" means the Executive Committee of the Central Council constituted under sub-rule (1) of rule 9;

(f) "Member-Secretary" means the Member-Secretary of the Central Council;

(g) "section" means a section of the Act;

(h) "Scheme" means a Scheme notified by a State Government under sub-section (1) of section 4;

(i) "Technical Secretariat" means the Technical Secretariat of the Central Council;

(j) words and expressions used but not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. The Central Council.— (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Central Council constituted under sub-section (1) of section 10 shall consist of the following, namely:—

(a) Union Minister for Rural Development..... Chairperson, *ex officio*;

(b) (i) Secretary to the Government of India, Department of Rural Development—member-*ex-officio*;

(ii) a nominee of the Ministry of Women and Child Development not below the rank of Joint Secretary to the Government of India.... member;

(iii) a nominee of the Ministry of Agriculture not below the rank of Joint Secretary to the Government of India.... member

(iv) a nominee of the Ministry of Environment and Forest not below the rank of Joint Secretary to the Government of India member;

(v) a nominee of the Ministry of Statistics and Programme Implementation not below the rank of Joint Secretary to the Government of India.... member;

(vi) a nominee of the Ministry of Panchayat Raj not below the rank of Joint Secretary to the Government of India.... member;

(vii) a nominee of the Ministry of Tribal Affairs not below the rank of Joint Secretary to the Government of India.... member;

887 GI/06 - 3

(viii) a nominee of the Ministry of Social Justice and Empowerment not below the rank of Joint Secretary to the Government of India.... member;

(ix) one representative of Planning Commission who shall not be below the rank of Advisor in the Planning Commission.... member;

(c) six representatives of the department of rural development of the State Governments who shall not be below the rank of Secretary to the concerned State Government to be nominated by the Central Government member;

(d) twelve members to be nominated by the Central Government from Panchayati Raj Institutions, organisations of workers and disadvantaged groups, of whom four shall be women, and shall include—

(i) two representatives to be nominated by the Central Government from the Scheduled Castes, one representative each from Scheduled Tribes, Other Backward Classes and minorities;

(ii) Chairpersons of two District Panchayats nominated by the Central Government by rotation for a period of one year at a time;

(e) three members representing the States to be nominated by the Central Government of whom—

(i) one shall be an expert in any of the areas of works, such as water conservation, land development, afforestation and plantation and rural engineering, listed or notified under Schedule I of the Act;

(ii) one shall be an expert in social audit; and

(iii) one shall be an expert on wage employment;

(f) Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Rural Development in charge of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005.....Member-Secretary.

(2) Not less than one-third of the total number of non-official members of the Central Council shall be women.

4. Terms and conditions of appointment of members.— (1) The members representing the Ministries or Departments of the Government of India shall hold their offices as long as they are serving in their respective Ministries or Departments or till the concerned Ministry or Department nominates any other officer.

(2) The term of office of the official members representing the State Governments shall be for a period of one year.

(3) The term of office of the non-official members nominated under clause (d) of sub-rule (1) of rule 3 shall be appointed for a period of one year.

(4) A non-official member nominated under clause (c) of sub-rule (1) shall be appointed for a period of two years or till any other member is appointed in his place takes charge, whichever is earlier.

(5) The non-official members nominated under clauses (d) and (c) of sub-rule (1) shall be entitled to receive travelling allowance and dearness allowance for attending the meetings of the Central Council or the Executive Committee, as the case may be, at the rates admissible to the Central Government servants of the highest grade.

(6) The non-official members shall also be entitled to receive honorarium at the rate of one thousand rupees per day for the days of the meeting of the Central Council or its Executive Committee or any other official work for which they attend to at the headquarters at New Delhi on invitation by the Central Council.

5. Resignation, etc. of non-official members.—(1) Any non-official member may,—

(a) by writing under his hand addressed to the Chairperson resign his office at any time;

(b) be removed from his office in case he incurs any disqualification mentioned in sub-rule (2).

(2) The Central Government may, remove from office a non-official member if he,—

(i) has been adjudged as an insolvent; or

(ii) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or

(iii) has become physically or mentally incapable of acting as a member; or

(iv) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a member; or

(v) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest; or

(vi) remains absent for three consecutive meetings of the Central Council except for reasons beyond his control or without permission of the Chairperson;

(3) Any vacancy caused in the Central Council due to resignation, death, removal or otherwise of a non-official member shall be filled from the same category to which such member was representing and the person newly nominated shall hold office so long as the member whose place he fills would have been entitled to hold office, if the vacancy had not occurred.

6. Meetings of the Central Council and its quorum.—(1) The Central Council shall meet at least two times in a year or more frequently as it may consider necessary at such place and at such time as may be decided upon by the Chairperson:

Provided that six months shall not intervene between two consecutive meetings of the Central Council.

(2) The Chairperson shall preside at every meeting of the Central Council at which he is present, and in his absence, the Secretary to the Government of India, Department of Rural Development shall preside.

(3) Not less than one-third of the members shall constitute the quorum for the meetings of the Central Council.

7. Procedure of the meetings.—(1) The Member-Secretary shall give at least fourteen clear days notice for a meetings of the Central Council, giving therein the date, time and place of the meeting.

(2) If the quorum in the meeting is not present, the Chairperson may postpone the meeting to another date and the Chairperson and the members present at the postponed meeting shall constitute the quorum.

(3) Every question brought before any meeting of the Central Council shall be decided upon by a majority of the members present and voting at the meeting before which the matter is brought and no member shall be allowed to vote by proxy.

(4) In the case of an equality of votes on any resolution or question, the Chairperson shall have a casting or a second vote.

(5) The Member-Secretary shall, within thirty days of a meeting, circulate the minutes of that meeting duly approved by the Chairperson.

8. Functions of the Central Council.—(1) The Council shall perform the duties and discharge the functions assigned to it under section 11.

(2) The Central Council may, subject to such control and directions, authorise the Member-Secretary to deal with such financial and administrative matters for its day-to-day functioning.

(3) The Central Council shall lay down the systems and procedures for maintenance of its accounts and other records.

(4) The Member-Secretary shall be responsible for the custody and maintenance of the minutes book and other records of the Central Council and the Executive Committee.

9. Executive Committee.— (1) The Central Council shall constitute a Committee to be called the Executive Committee to assist it to discharge the duties and perform the functions assigned to it.

(2) The Executive Committee constituted under sub-rule (1) shall consist of the following, namely:-

- | | |
|---|------------|
| (i) Secretary to the Government of India, Department of Rural Development. | President; |
| (ii) The Financial Advisor, Ministry of Rural Development; representative of the Ministry of Panchayati Raj and two Members who are Secretaries of State Governments nominated by the Chairperson of the Executive Committee. | Members; |
| (iii) Four non-official members of the Central Council to be nominated by the Chairperson of the Central Council. | Members. |

(3) The Member-Secretary shall be the Member-Secretary of the Executive Committee.

10. Functions of the Executive Committee.— (1) Subject to the general superintendence and directions of the Central Council, the Executive Committee shall perform the following duties and functions, namely:-

- (a) take steps to give effect to the decisions of the Central Council;
- (b) manage the administrative and financial affairs of the Central Council;
- (c) sanction expenditure in connection with the affairs of the Central Council;
- (d) appoint expert groups for technical support and advice to improve the quality of implementation of the Act;
- (e) exercise all such powers and performs such functions as may be entrusted to it by the Central Council.

(2) The Executive Committee shall meet at least once in three months or more frequently, if required by the Central Council.

887 GI/06-4

(2) The Executive Committee shall meet at least once in three months or more frequently, if required by the Central Council.

11. Technical Secretariat.— (1) The Central Council and the Executive Committee shall be assisted by a Technical Secretariat, which may be set up by the Central Government in accordance with these rules to provide logistic and technical support for the implementation of the provisions of the Act.

(2) The Technical Secretariat shall be headed by the Member-Secretary and persons of professional services enlisted on the basis of procedures, norms and terms decided by the Executive Committee.

(3) The persons of professional services engaged for the Technical Secretariat shall pertain to services in functional areas specified in section 11.

12. Funds of the Central Council.— (1) The Central Council shall meet its expenses in connection with its affairs and the functions entrusted to it under the Act or these rules from the annual grants released to it by the Ministry of Rural Development out of the National Employment Guarantee Fund.

(2) The funds of the Central Council shall be operated through a scheduled bank as approved by the Central Council.

[F. No. 24011/5/2005-SGRY(M)]

AMITA SHARMA, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 15, 2008/पौष 25, 1929

No. 64]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 15, 2008/PAUSA 25, 1929

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2008

का.आ. 88(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि अधिनियम की अनुसूची 1 का संशोधन करना आवश्यक और समीचीन है, अधिनियम की अनुसूची 1 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इसका संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अनुसूची 1 संशोधन आदेश, 2008 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची 1 में,—

(i) पैरा 8 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8 (1) विभिन्न अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी की दरों की अनुसूची इस प्रकार नियत की जाएगी कि नौ घंटे के लिए काम करने वाला कोई व्यक्ति सामान्यतया मजदूरी दर के बराबर मजदूरी उपार्जित कर सके ।

(2) किसी व्यक्ति कर्मकार के कार्यदिवस, जिसके अंतर्गत विश्राम के अंतराल भी हैं यदि कोई हों, इस प्रकार व्यवस्थित किए जाएंगे कि वह किसी दिवस को बारह घंटे से अधिक न हों";

(ii) पैरा 8 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"8-क. किसी समूह में कार्य करने वाले किन्हीं पुरुष और स्त्री कर्मकारों द्वारा किए गए औसत कार्य आधारित दरों की सूची नियत करने के लिए आधार होगा ताकि दरों की अनुसूची में लिंग आधारित कोई विभेद न हो ।"

[फा. सं. जे-11011/2/2007-एनआईजीए]

अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2008

S.O. 88(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), and being satisfied that it is necessary and expedient to amend Schedule I of the Act, the Central Government hereby makes the following amendments to Schedule I of the Act, namely:—

1. (1) It may be called the National Rural Employment Guarantee Act, Schedule I Amendment Order, 2008.
- (2) It shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.
2. In Schedule I of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005,—
 - (i) for paragraph 8, the following paragraph shall be substituted, namely:—

“8 (1) The Schedule of rates of wages for various unskilled labourers shall be so fixed that an adult person working for nine hours would normally earn a wage equal to the wage rate.

(2) The working days of an adult worker shall be so arranged that inclusive of intervals of rest, if any, it shall not spread over more than twelve hours on any day”;
 - (ii) after paragraph 8, the following paragraph shall be inserted, namely:—

“8-A. The average out-turn of work put out by men and women workers working in a group will be the basis for fixing task based Schedule of rates so that there is no gender based discrimination in the Schedule of rates.

[F.No. J-11011/2/2007-NRLEGA]

AMITA SHARMA, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1815] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 22, 2011/भाद्र 31, 1933

No. 1815] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 22, 2011/BHADRA 31, 1933

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2011

का.आ. 2202(अ).—केन्द्रीय सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, उक्त अधिनियम की अनुसूची I में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अनुसूची के पैरा 1 के उप-पैरा (iv) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(iv) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों या गरीबी रेखा से नीचे कुटुंब या भूमि सुधार के हितधिकारियों या भारत सरकार की ईदिरा आवास अयोजना के अधीन हितधिकारियों या कृषि ऋण अधित्यजन और ऋण राहत स्कीम, 2008 में यथापरिष्ठापित लघु कृषक या सीमांत कृषकों या अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन हितधिकारियों की गृहस्थियों की स्वामित्वाधीन भूमि के लिए सिंचाई सुविधा, बागवानी, बागान और भूमि विकास सुविधाओं का उपबंध ;"

[फा. सं. के-11033/2/2011-संशोधन]

डॉ. के. जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की अनुसूची I का निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधन किया गया :

1. का.आ. 323(अ), तारीख 6 मार्च, 2007
2. का.आ. 1489(अ), तारीख 18 जून, 2008
3. का.आ. 3000(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2008
4. का.आ. 1824(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009
5. का.आ. 1484(अ), तारीख 30 जून, 2011

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2011

S.O. 2202E.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government, on being satisfied that it is necessary and expedient to do so, hereby makes the following further amendments in the Schedule I to the said Act, namely:

2. In the said Schedule, in paragraph 1, for sub-paragraph (iv), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(iv) provision of irrigation facility, horticulture, plantation and land development facilities to land owned by households belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes or below poverty line families or to the beneficiaries of land reforms or to the beneficiaries under the Indira Awas Yojana of Government of India or that of the small farmers or marginal farmers as defined in the Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008 or to the beneficiaries under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 :”.

[F.No.K-11033/2/2011-MGNREGA]

D. K. JAIN, Jt. Secy.

Note :—Schedule I of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) has been amended *vide* following Notification Numbers :

1. S.O. 323(E), dated the 6th March, 2007
2. S.O. 1489(E), dated the 18th June, 2008
3. S.O. 3000(E), dated the 31st December, 2008
4. S.O. 1824(E), dated the 22nd July, 2009
5. S.O. 1484(E), dated the 30th June, 2011.